खण्ड-159, अंक-3
सोमवार, 25 आश्विन, शक संवत् 1877
(17 अक्टूबर, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 159 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १७ अक्तूबर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादवी श्री

रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री

हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १७ अक्तूबर, १९५५

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

जे० के० ट्रस्ट, कानपुर का कैन्सर इन्सटीट्यूट के लिए दान

**१—श्री नारायणदत तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि जे० के० ट्रस्ट, कानपुर ने नैनीताल में एक कैन्सर इन्स्टीट्यूट खोले जाने के हेतु ५ लाख रुपये का दान दिया है ? अगर हां, तो उपर्युक्त इन्सटीट्यूट के कब तक खुलना सम्भव होगा ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)—जे० के० ट्रस्ट कानपुर ने नैनीताल में कैन्सर इन्सटीट्यूट खोलने के लिये कोई दान नहीं दिया है । ट्रस्ट ने एक कैन्सर इन्सटीट्यूट के लिये ५ लाख रुपया देने का वादा किया है । सरकार कानपुर में इसे खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

**२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि राज्य के कुछ प्रमुख डाक्टरों ने कैन्सर इन्सटीट्यूट के खोले जाने के विषय में कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट के मुख्य मुख्य तथ्यों को बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—जी हां, उनकी राय में कैन्सर इन्स्टीट्यूट को किसी मेडिकल कालेज के साथ होना चाहिये जहां देश के हर कोने से लोग आसानी से पहुंच सकें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि पिछले वर्ष माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नैनीताल में सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि रैमसे हास्पिटल का सदुपयोग करने के लिये कैन्सर इंस्टीट्यूट खोला जायगा ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मंत्री ने घोषणा नहीं की थी लेकिन यह कहा था कि इस अस्पतल का उपयोग कैंसर इंस्टीट्यूट खोलकर किया जाय तो भला होगा और इसके लिये मंत्री ने प्रयास भी किया था ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का विचार अब भी है कि रैमत हास्पिटल का सदुपयोग करने के लिये कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिये डाक्टरों ने भिन्न राय दी, इसलिये सरकार को सलाहकारों का राय मान कर अपना मत बदलना पड़ा। अब कैंसर इंस्टीट्यूट के वहां स्थापित करने के विषय में सरकार विचार नहीं कर रही है

परन्तु फिर भी सरकार के विचार में इस इंस्टीट्यूशन को किसी और तरह से अच्छे पैमाने पर सदुपयोग किया जा सके, इसके लिये सरकार प्रयत्नशील है। यह सरकार के विचाराधीन अब भी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि डाक्टर भाटिया तथा अन्य डाक्टरों ने राय दी थी कि वहां की स्वास्थ्यवर्द्धक वायु को देखते हुये कैंसर इंस्टीट्यट की वहां पर स्थापना उपयुक्त होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—डाक्टर भाटिया अवश्य इस मत के थे और मैंने राय ली थी, परन्तु आगरा मेडिकल कालेज के रेडियोलोजी के अध्यक्ष, तथा लखनऊ मेडिकल कालेज के रेडियोलोजी के अध्यक्ष, तथा अन्य डाक्टरों ने विरुद्ध राय दी थी इसलिये सरकार को अपना मत बदलना पड़ा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रैंमसे हॉस्पिटल का सदुपयोग किस प्रकार से होने वाला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। एक न्याय तो यह हो सकता है कि इसको पब्लिक एनालिस्ट के आफिस में बदल दिया जाय। दूसरा यह हो सकता है कि दिल्ली से जो सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेकर जाते हैं, उनके लिये, केन्द्रीय सरकार से हम मांग करें कि उनके लिए हिल स्टेशन बना दिया जाय जिसमें बीमारी इत्यादि के समय में आयें और इस अस्पताल में दाखिल हो सकें और अपना उपचार इत्यादि करा सकें। इस विषय में केन्द्रीय सरकार के मंत्री से भी बातचीत हुयी है परन्तु अभी कोई निर्णय इस विषय में नहीं हो सका है। जैसा कि मैंने बतलाया हमारा यह प्रयत्न है और हम समझते हैं कि यह प्रयत्न हमारा किसी न किसी रूप में अवश्य सफल होगा।

तारांकित प्रश्न

गांव पंचायतों द्वारा मालगुजारी की वसूली

*१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की गांव की पंचायतों द्वारा मालगुजारी वसूल करने का काम किन-किन जिलों में हो रहा है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—कुछ गांव पंचायतों (Land management Committees) द्वारा मालगुजारी वसूल करने का काम निम्नलिखित १७ जिलों में हो रहा है।

१—सहारनपुर, २—अलीगढ़, ३—मथुरा, ४—आगरा, ५—मुरादाबाद, ६—फर्रुखाबाद, ७—इटावा, ८—कानपुर, ९—हमीरपुर, १०—बांदा, ११—गाजीपुर, १२—उन्नाव, १३—रायबरेली, १४—सीतापुर, १५—खीरी, १६—फैजाबाद, १७—गोंडा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय माल मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि इन मैनेजमेंट कमेटियों क वसूली पर कमीशन किस हिसाब से मिलता है ?

श्री चरणसिंह—एक आना फी रुपया।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां-जहां इनको वसूली का काम दिया गया है वह संतोषजनक ढंग से चल रहा है ?

श्री चरणसिंह—कुछ कमेटियों ने अच्छा काम किया है और कुछ ने संतोषजनक ढंग से नहीं किया। १९५३ में २८२ कमेटियों को यह काम सुपुर्द किया गया था उनमें से कुछ ने अपनी असमर्थता प्रकट की, कुछ को कलक्टरों ने अधिकार विहीन इसलिये कर दिया कि वे अच्छी तरह से काम नहीं कर सकीं। लेकिन अभी गवर्नमेंट विचार कर रही है कि जो पहले के आदेश थे उनमें कुछ और परिवर्तन किया जाय और उसके बाद ख्याल है कि काफी कामयाबी इसमें मिल सकेगी।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि आगामी वर्ष में पंचायतों के सुपुर्द मालगुजारी की वसूली का काम सरकार करने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन पंचायतों को सरकार ने खुद ही मालगुजारी की वसूली का काम सौंपा था या इन्होंने खुद ही मालगुजारी की वसूली के लिये कहा था ?

श्री चरणसिंह—कलेक्टरों ने उनसे दरियाफ्त किया था और कुछ ने अपनी इच्छा से स्वयं ऐसा कहा था। काम लादा नहीं गया।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिन गांव सभाओं को मालगुजारी वसूल करने की जिम्मेदारी दी गयी थी उनकी वसूली की नाकामयाबी को देखते हुये सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि वसूली पंचायतों द्वारा संभव नहीं है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, इस नतीजे पर नहीं पहुंची। गवर्नमेंट को पूरी उम्मीद है कि इसमें सफलता मिलेगी।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जिन गांव सभाओं को वसूली का काम दिया गया था उनमें से क्या अधिकतर की रिपोर्ट सरकार के पास यह आयी कि उनका सिर्फ हिसाब-किताब ठीक नहीं है, वसूली में कामयाबी हुयी ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, हिसाब-किताब की कोई गलती या कोई गबन वगैरह, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको जो कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं उस आदमी के मुकाबिले में जो मालगुजारी नहीं देता है, उनका हम हल नहीं निकाल पाये हैं मुहकमे में इतना काम है कि वह इस ओर ज्यादा ध्यान अभी नहीं दे पाया है। अभी मेरे मन में एक चीज है वह अगर हो गयी तो इसमें कामयाबी मिलेगी, फिर मिलेगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा बतायेगी कि जिन पंचायतों के सुपुर्द यह काम किया जायगा क्या सरकार उन से कोई जमानत भी लेगी ?

श्री चरणसिंह—जिन कठिनाइयों का जिक्र मैंने किया उनमें एक कठिनाई यह भी है। जो निर्वाचित सभापति है वह अपने पास से जमानत कैसे दे ? और अगर रुपया उसके पास से हो जाय और उसकी जाती जमानत अगर नहीं है तो गवर्नमेंट कहां से वसूल करे ? अगर माननीय मित्र कोई हल बता सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी ग्राम पंचायतों की वसूली की कामयाबी को देखते हुये यह आवश्यक समझते हैं कि गांव पंचायतों को ऐसे कुछ हकूक दिये जायं जिनके अधिकार से वे मालगुजारी की वसूली में अपने प्राविधिक अधिकार भी इस्तेमाल कर सकें ?

श्री चरणसिंह—जैसा कि मैंने कहा यह सारा मामला विचाराधीन है और वह मिसिल अभी बंद नहीं कर दी गयी। क्या करना पड़ेगा यह मैं अभी नहीं कह सकता।

चकबन्दी के कार्य में प्रगति

*२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या किसी गांव की पूर्ण रूप से चकबंदी हो गयी ? यदि हां, तो उसमें फी एकड़ क्या खर्चा पड़ा ?

श्री चरणसिंह—सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में २३४ गांवों की तथा मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना में ८२ गांव का पूर्णरूप से चकबंदी हो गयी है। दोनों जिलों की उक्त तहसीलों में अभी चकबंदी का कार्य पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। इस कारण सही खर्च की एकड़ क्या है नहीं बताया जा सकता किन्तु अनुमानतः चकबंदी का औसतन खर्च ३ रुपया प्रति एकड़ पड़ेगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश के जो और जिले हैं उनमें कब तक चकबंदी का काम शुरू किया जायगा ?

श्री चरणसिंह—१६ जिलों में चकबंदी का काम चल रहा है। ५ जिले आगामी नवम्बर से लिये जाने वाले हैं। बाकी जिलों में लिये जाने के लिये किसानों तथा माननीय मित्रों की बहुत इच्छा है पर यह अभी नहीं कहा जा सकता कि यह कब से हो सकेगा क्योंकि क्वालीफाइड परसोनेल की, खास तौर पर क्वालिफाइड तहसीलदारों की कमी है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर जिले के बाकी गांव हैं उनमें चकबंदी को पूरा करने में कोई विशेष कठिनाई पड़ रही है ? क्या कारण है कि उन गांवों में अभी तक यह नहीं हो पायी है ?

श्री चरणसिंह—जिन गांवों में हो चुकी है उनके मुकाबिले में जिनमें अभी तक पूरी नहीं हो पायी है कई विशेष कठिनाइयां हैं। जितना बड़ा गांव होता है उतनी ही कठिनाई होती है। मुजफ्फरनगर में बहुत बड़े गांव हैं इसलिये वहां बजाय सुल्तानपुर के काम देर में होगा।

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में ओला और सूखा के कारण छूट

*३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में पिछले वर्ष के सूखे और ओले के कारण किस दर से कुल कितने रुपये की छूट दी गयी ?

श्री चरणसिंह—मांगी गयी सूचना इस प्रकार है:

	रु०	आ०	पा०
कुल छूट की रकम	१,१९,४४५	१	३

हानि की मात्रा	छूट की दर
रुपये में ६ आना या ६ आना से अधिक परन्तु ८ आना से कम	४ आना
रुपये में ८ आना या ८ आना से अधिक परन्तु १० आना से कम	६ आना
रुपये में १० आना या १० आना से अधिक परन्तु १२ आना से कम	१० आना
रुपये में १२ आना या उससे अधिक	१६ आना

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को यह शिकायत मिली थी कि सूखे के कारण जिन खेतों में धान आरोपित नहीं किया जा सका उन खेतों में छूट नहीं दी गयी ?

श्री चरणसिंह--मुझे याद नहीं पड़ता कि ऐसी कोई शिकायत मिली है लेकिन ठीक इसी मसले के मुताल्लिक फरवरी के महीने में सवाल हुआ था और उस सवाल के जरिये से यह सूचना दी गयी थी कि जहां पर ६ आने का नुक्सान हुआ है वहां पर छूट दे दी जाय। आर्डर चले गये थे और १८ और गांवों में छूट दी गई थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये थे कि सूखे के कारण जिन खेतों में फसल नहीं लगायी जा सकी उनको छूट के नक्शे में शामिल किया जाय, क्योंकि शायद यह रेविन्यू मैनुअल में नहीं है?

श्री चरणसिंह--सूखे के कारण २८२ गांवों में छूट दी गयी और १५१ गांवों में ओले के कारण दी गयी। इस सूखे का कारण यह नहीं कि फसल नहीं बोई जा सकी या बोई जा सकी तो उसके बाद सूख गई। मेरा अपना ख्याल यह है कि दोनों इसके अन्दर आते हैं और अगर नहीं आते हैं तो इस पर विचार किया जायगा।

आजमगढ़ जिले में अधिवासी किसानों से मालगुजारी की वसूली

*४--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिवासी किसानों से आजमगढ़ जिले में कब से मालगुजारी वसूल करना आरम्भ हुआ?

श्री चरणसिंह--आजमगढ़ जिले में अधिवासी किसानों से मालगुजारी की वसूली १५ जून, १९५५ से आरम्भ हुई।

*५--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि जिन खेतों की मालगुजारी अधिवासियों से वसूल की जा रही है उन्हीं खेतों की मालगुजारी क्षेत्रपतियों से भी १३६२ फसली की वसूल की जा चुकी है?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। कुछ पूर्व क्षेत्रपतियों ने जिनकी संख्या बहुत कम है, अपनी मालगुजारी मई के पूर्व ही बेबाक कर दी थी। उनको बता दिया गया है कि जो फाजिल रकम वसूल की गयी होगी वह १३६३ ई० की मालगुजारी में मुजरा कर दी जायेगी।

*६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या मालमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त अधिवासी अधिकतर मालगुजारी क्षेत्रपतियों को दे चुके थे?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। जांच से पता चलता है कि कहीं-कहीं कुछ क्षेत्रपतियों ने अपने अधिवासियों से मार्च, १९५५ के पूर्व ही पूरा लगान वसूल कर लिया था परन्तु ऐसी कोई शिकायत किसी अधिवासी ने नहीं की है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्षेत्रपति के जितने खेतों पर अधिवासी दर्ज था उन खेतों की मालगुजारी छोड़ कर क्षेत्रपतियों से क्यों नहीं मालगुजारी वसूल की?

श्री चरणसिंह--इस कारण कि जितना सीधा काम माननीय मित्र समझते हैं उतना यह है नहीं। उसमें हर खेत के सर्किल रेट का हिसाब लगाना पड़ता है। ३०-१०-५४ को अधिवासी सीरदार क़रार दिये गये थे। उस समय तक की मालगुजारी उन्हें अपने क्षेत्रपतियों को देनी ही थी उसके बाद सरकारी खजाने में जमा करनी पड़ रही है। यदि किसी क्षेत्रपति ने अधिक वसूली कर लिया है तो अधिवासी नालिश कर के उसे वसूल कर सकते हैं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--अधिवासी और क्षेत्रपति दोनों ही खाते से क्यों लगान वसूल किया जाता है?

श्री चरणसिंह--मैं कैसे समझाऊं, मैं तो समझा चुका हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—कानून के हिसाब से १ १/३ से दो गुने तक अधिवासियों का लगान दर्ज होना चाहिये लेकिन आमतौर पर काग़जात बनाने में सीधे दो गुना दर्ज करते जा रहे हैं, यह क्यों है ?

श्री चरणसिंह—ऐसा कोई कानून नहीं है जैसा मेरे मित्र ने बतलाया है । अधिवासियों के मुताल्लिक़ यह तय हुआ था कि दो गुने से ज्यादा लगान घटा दिया जायगा और दो गुने तक वही रहेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि क्षेत्रपतियों से मार्च के पहले ही मालगुजारी वसूल कर ली गयी थी, काफ़ी तादाद में ?

श्री चरण सिंह—यह तो मैं सवाल के जवाब में अर्ज़ कर चुका हूं कि जिन्होंने दे दी उनसे वसूल कर ली गयी। तो वह १३६२ ख़रीफ की हुई। २/३ तो उनको देना ही था, बाक़ी १/३ वापिस ले सकते हैं।

गाजीपुर जिले की सैदपुर और मोहम्मदाबाद तहसीलों में बाढ़ से क्षति

*७—**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल (१९५५) में गाजीपुर जिले की सैदपुर और मुहम्मदाबाद तहसील में बाढ़ के कारण कितनी फसल नष्ट हुई है ?

श्री चरणसिंह—इस वर्ष गाजीपुर जिले की तहसील सैदपुर तथा मोहम्मदाबाद में बाढ़ के कारण नष्ट फसल का क्षेत्रफल अनुमानतः निम्नलिखित है :

अनाज की क़िस्म	नष्ट फसल का क्षेत्रफल (एकड़ में)	
	सैदपुर	मोहम्मदाबाद
धान	११,२४३	२,०००
सांवा	..	३००
अरहर	..	५००
ईख	..	२००
ज्वार बाजरा	१,५४२	..
अन्य अनाज	१,०१७	..

श्री कमलासिंह—क्या सरकार को मालूम है कि ५०० एकड़ ऊख का नुक्सान सैदपुर तहसील में गावी नदी से हुआ है ?

श्री चरणसिंह—जिसे मैं नुक़सान मान रहा हूं वैसे नुक़सान का इल्म मुझे नहीं है।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार इस बात की तहक़ीक़ात करेगी कि कितना गन्ने का नुक़सान हुआ है ?

श्री चरणसिंह—करेगी, अगर माननीय मित्र मेरे कमरे में तशरीफ़ लावें शाम को।

स्टेट ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन पर व्यय

*८—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्टेट ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन पर १९५४–५५ में कुल क्या व्यय हुआ ? इस वर्ष के अन्त में कुल कितने सरकारी ट्रैक्टर थे और उनमें से ठीक चालू दशा में कितने थे ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—स्टेट ट्रक्टर आर्गेनाइजेशन पर १९५४–५५ में लगभग ११,३६,५७७ रु० व्यय हुआ था।

इस वर्ष के अन्त में कुल १७१ ट्रेक्टर थे। इनमें से ४८ ट्रैक्टर ठीक चालू दशा में थे।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ११,३६,५७७ रु० में क्या ट्रैक्टरों की क़ीमत भी शामिल है?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं।

श्री श्रीचन्द्र—कुल कितने ट्रैक्टर ख़रीदे गये और उनकी क्या क़ीमत थी?

श्री हुकुमसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री श्रीचन्द्र—४८ के अतिरिक्त शेष ट्रैक्टर कहां हैं और उनका क्या हो रहा है?

श्री हुकुमसिंह—कुछ वर्कशाप में हैं और कुछ तराई की बिगड़ाता में हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या यह सही है कि इस समय जो ट्रैक्टर बेकार हैं वे जिस समय ख़रीदे गये थे उस समय भी बेकार थे और कभी काम में नहीं आये हैं?

श्री हुकुमसिंह—ऐसा तो नहीं मालूम है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—बेकार ट्रैक्टरों की मरम्मत कराने की कोशिश की गई या नहीं, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह—मरम्मत तो होती रहती है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—ये ट्रैक्टर्स, जो संख्या बताई गई हैं वे कितने दिनों से बेकार हैं?

श्री हुकुमसिंह—मरम्मत होकर काम भी करते रहते हैं और फिर गड़बड़ हो जाती है तो फिर मरम्मत होती है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो ट्रैक्टर्स हमेशा गड़बड़ रहते हैं उसका क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह—पुराने हो चुके हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ट्रैक्टर्स अक्सर बिगड़ जाते हैं वे कितने पुराने हैं?

श्री हुकुमसिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है। इसकी तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन से कितने एकड़ खेती सन् १९५४–५५ में हुई?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में व्यय पूछा गया है और वह व्यय खेती के जोतने में हुआ है।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय मंत्री जी से यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वे सब फिगर्स लेकर आये हों। अगर वे इसका जवाब दे सकते हों तो दे सकते हैं।

श्री हुकुम सिंह—४६१०.७५ एकड़ बंजर भूमि जोती गयी, २२५.२५ एकड़ मजरुआ भूमि जोती गयी, ६९७.२५ एकड़ बंजर भूमि का हैरोइंग किया गया, १६०.६७ एकड़ मजरुआ भूमि का हैरोइंग किया गया, और २७२ एकड़ भूमि पर पटेल किया गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि फी एकड़ खर्च जो इन ट्रैक्टर्स की वजह से पड़ा है,, वह अधिक है और इस कारण से क्या सरकार उस आर्गेनाईजेशन को बंद करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह—जी नहीं, यह जो आप ने फरमाया यह बात ग़लत है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जो ट्रैक्टर्स बेकार पड़े हुए हैं उनकी मरम्मत करा दी जाय ?

श्री हुकुम सिंह—मरम्मत तो करा रहे हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन ट्रैक्टरों की मरम्मत के लिये वर्कशाप कहां-कहां हैं ?

श्री हुकुम सिंह—बरेली, मेरठ, झांसी, लखनऊ और नीलगांव में है। इस तरह से बहुत सी जगहें हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या यह बात सही है कि जो सरकारी कारखाने मरम्मत के हैं उनके अलावा प्राइवेट कारखानों में भी मरम्मत करायी जाती है ?

श्री हुकुम सिंह—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह बात सही है कि बहुत से ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जो खरीदे गये हैं तभी से बेकार पड़े हैं और कभी काम में नहीं आये ?

श्री हुकुम सिंह—यह बात सही नहीं मालूम होती।

कृषि औजार बनाने के कारखाने

*९—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई फैक्ट्री इस समय कृषि औजार, हल इत्यादि बना रही है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां।

*१०—श्री रामहेत सिंह—यदि हां, तो कहां पर और नहीं, तो क्या ऐसी फैक्ट्री चलाने का उसका विचार है जिससे कृषि औजार सस्ते और ठीक मिल सकें ?

श्री हुकुम सिंह—कृषि इंजीनियरिंग वर्कशाप, लखनऊ, मेरठ व बरेली में कृषि औजार बनाये जाते हैं।

श्री राम हेत सिंह—क्या यह सही है कि ये फैक्टरियां औजारों की मांगों को पूरा नहीं करतीं, इसलिये और फैक्टरियों के खोल जाने की आवश्यकता है ?

श्री हुकुम सिंह—अभी तो यह स्थिति नहीं है। यदि और कारखानों के खोलने की जरूरत हुई तो अवश्य खोले जायेंगे ?

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो औजार इन फैक्टरियों में बनते हैं वे किसानों को किस्तों पर अथवा एकमुश्त रकम पर दिये जाते हैं?

श्री हुकुम सिंह—गालिबन नक़द बेचे जाते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो औजार उनके कृषि इंजीनियरिंग फैक्टरी में बनते हैं उनके बेचने की एजेंसी वे क्या इस्तेमाल करते हैं?

श्री हुकुम सिंह—उन्हीं वर्कशाप से बिकते हैं।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन फैक्टरीज में कृषि व ट्रैक्टर्स के कौन कौन से औजार बनते हैं?

श्री हुकुम सिंह—इसकी एक लम्बी फेहरिस्त है, श्रीमान् की आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—कुछ उसमें से सुना दीजिये जिसे वे समझ सकें।

श्री हुकुम सिंह—हाथी की काठी और उसके लिये हल बने हैं और ट्रैक्टर भी बने हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह फैक्टरी एक्सपेरिमेंटल हैं या बिजनेस फैक्ट्री हैं?

श्री हुकुम सिंह—अभी तो एक्सपेरिमेंटल ही मालूम होती है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार इन औजारों को मारकेट में ले जाने की कोशिश करेगी ताकि किसान उसको आसानी से खरीद सकें?

श्री हुकुम सिंह—मैं उसको सहकारी समितियों के जरिये और बीज गोदामों के जरिये बेचवाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि ये खेती बारी के औजार बनाने के कारखाने वे गांवों में भी खोलने की कृपा करेंगे जहां कि खेतीबारी होती है?

श्री हुकुम सिंह—नीलगांव एक गांव ही है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि खेती-बारी करने वालों की संख्या को देखते हुये पूर्वी यू० पी० में भी कोई ऐसा कारखाना खोलने का विचार उनका है?

श्री हुकुम सिंह—अभी तो नहीं है लेकिन जरूरत पड़ी तो जरूर विचार किया जायगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हाथी की काठी और ट्रैक्टर जिसे हाथी खींचेगा वे कितने बिके हैं?

श्री हुकुम सिंह—अभी तो सैम्पुल बने हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो औजार सरकारी वर्कशाप में बनते हैं वे, और जो बाजारी वर्कशाप्स के हैं उनके बमुकाबले ज्यादा क़ीमत के हैं?

श्री हुकुम सिंह—इसकी जांच के लिये मैंने एक कमेटी बैठा रखी है।

झांसी जिले में बबीना थाना के अन्तर्गत मिलिटरी फील्ड फायरिंग रेंज में शामिल गांव

*११—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार बबीना थाना (झांसी) के अन्तर्गत उन गांवों के नाम व रक़बा सहित संख्या बतलाने की कृपा करेगी जो कि military fleld firing range में शामिल कर लिये गये हैं?

श्री चरण सिंह—जी हां। बबीना के अन्तर्गत मिलिट्री फील्ड फाइरिंग रेंज में शामिल किये गये गांवों के नाम और उनके रकबे संलग्न सूची में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०९ पर)

*१२—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त गांव military range में कब शामिल किये गये थे और प्रत्येक गांव की कितनी-कितनी आबादी है?

श्री चरण सिंह—उक्त गांव मिलिट्री रेन्ज में १९४२-४३ में शामिल किये गये थे और उस समय उनकी आबादी संलग्न सूची में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१० पर)

*१३—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने उक्त गांवों को गत महायुद्ध समाप्त होने पर मुक्त कर देने का बचन दिया था? यदि हां, तो अभी तक मुक्त क्यों नहीं किया? क्या वह अब उनको स्थायी रूप से acquire कर रही है?

श्री चरण सिंह—सरकार ने उक्त गांवों को गत महायुद्ध समाप्त होने पर मुक्त करा देने का कोई बचन नहीं दिया था। उक्त गांव १९४८ में भारत सरकार के आज्ञानुसार उनके लिये स्थायी रूप से अक्वायर किये गये थे, परन्तु अभी तक उन गांवों का कब्जा भारत सरकार को सुपुर्द नहीं किया गया है। भारत सरकार अब उन गांवों का कब्जा तुरन्त मांग रही है और इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी ने उक्त २१ गांवों के एक्वायर करने के बजाय केन्द्रीय सरकार के सामने यह सुझाव रखा था कि वह आसपास के जंगल और दूसरी बंजर जमीनों को ले ले?

श्री चरण सिंह—प्रादेशिक सरकार ने ६-७ बार इस बात की कोशिश की कि अगर हो सके तो इस जमीन के अलावा कोई और जमीन ले ली जाय लेकिन इस का तय करना न करना तो उनके अधिकार की बात थी, और वे अपनी जरूरत को जानते थे।

श्री लक्ष्मणा राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त गांव के किसानों को आबाद करने के लिये उन्होंने क्या व्यवस्था की है?

श्री चरण सिंह—सरकार की तरफ से कलेक्टर को लिखा गया है कि जहां तक उपयुक्त जमीन मिल जाय उनको बसा दिया जाय और जिस तरह से जितनी सुविधायें हो सकती हैं वे सुविधायें उनको दी जायं। गवर्नमेंट आफ इंडिया से हमने कोशिश यह भी की है कि जो मुआविजा इनकी जमीन का हो उसके अलावा भी इन लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिये कुछ रुपया अपने पास से दे लेकिन सरकार और गवर्नमेंट आफ इंडिया में जो पत्र-व्यवहार हुआ है उससे कोई अधिक सफलता इस बारे में नहीं मिल सकी है।

श्री गज्जू राम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करक बतायेगी कि उक्त गांवों की जमीन जो कि मिलिटरी ने अपने कब्जे में कर रखी है उसका मुआविजा किसानों को दिया गया या नहीं?

श्री चरण सिंह—डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के मातहत सन् ४२ से ४४ तक कुल २४,६०० एकड़ जमीन रिक्वीजीशन की गयी थी और उसके बाद १,६०० एकड़ उस में से छोड़ दी गयी। २,३००० एकड़ उनके कब्जे में सन् ४८ तक रिक्वीजीशन के तौर पर रही। टेम्पोरेरी रिक्वीजीशन के हिसाब से ४२ से ५० तक का मुआविजा टेम्पोरेरी एक्विजीशन के अनुसार मिल गया है, और परमानेन्ट एक्विजीशन के मुआवजे देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो जमीन तराई में खाली पड़ी है उस पर उन ग्रामवासियों को बसाया जाय ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, उस पर विचार नहीं होगा।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या उन गांवों को खाली कराने के पहले किसानों को आबाद करने की समुचित व्यवस्था की जायगी ?

श्री चरण सिंह—गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है, १५ नवम्बर तक खाली गांव होंगे, १५,००० एकड़ कुल रकबा है, और इस विषय में मिलिटरी अथारिटीज और राज्य कर्मचारी भी उनको खाली कराने में सुविधा देना चाहते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि उनकी प्रैक्टिस सुबह ७ बजे से शाम को ५ बजे तक होती है और राज्य कर्मचारी इस कारण इस समय में नहीं पहुंच पाते हैं। इस विषय में पत्र-व्यवहार हो रहा है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि राज्य कमचारियों की सहायता की जाय किसानों को समझाने में ताकि मामला उलझे नहीं क्योंकि कुछ लोग हैं जो मामले को उलझाना चाह रहे हैं।

श्री गज्जू राम—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह कौन सी जमीन झांसी में है कि जहां इन लोगों को बसाया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह—उसी जिले में बसाया जा रहा है ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है। ऐसी जमीनें कहां हैं, कितनी हैं, कितना रकबा है इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री शिव नारायण—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि परमानेन्ट रिक्वीजीशन करने के लिये फ़ी एकड़ क्या मुआविजा सरकार देगी ?

श्री चरण सिंह—१५ सितम्बर को गवर्नमेंट आफ इंडिया के आफिसर्स के और हमारे आफिसर्स के बीच एक कांफ्रेन्स हुयी जिसमें यह निश्चय हुआ कि सन् १९५२ में जो मार्केट रेट जमीन का था उसी के अनुसार मुआविजा दिया जाय।

खीरी जिले की निघासन तहसील में जूट डेवलपमेंट स्कीम पर व्यय

*१४—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील निघासन, जिला खीरी में जूट डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत सन् १९५३–५४ वित्तीय वर्ष में कितना खर्च हुआ ?

श्री हुकुमसिंह—जिला लखीमपुर-खीरी के तहसील निघासन में जूट डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत स्थापित जूट केन्द्रों में सन् १९५३–५४ में कुल २४,६५८ रु० खर्च हुये।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह २४,६५८ रुपया किस-किस मद पर खर्च किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह—स्थापना और वेतन १३,३५६ रुपया, मंहगाई ६,१९४ रुपया, भत्ता २,८२६ रुपया, कन्टिजेंसी ७,२९७ रुपया, किसानों को बीज के हेतु खरीदे गये बीज का मूल्य ८९० रुपया, कृषि की अन्य सुविधा ६०० रुपया।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले वर्ष जो जूट का बीज किसानों को दिया गया, उसके आम तौर पर न जमने की शिकायत रही है ?

श्री हुकुमसिंह—ऐसी शिकायत तो मेरी नोटिस में कभी नहीं आयी ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ५३–५४ में कुल कितने एकड़ जूट तहसील में रखे गये ?

श्री हुकुमसिंह—७ हजार दो सौ एकड़ ।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो जूट बोया गया इसकी कीमत कितनी हुयी ?

श्री हुकुमसिंह—कीमत की सूचना तो नहीं है लेकिन गालिबन ७२,७०९ हुयी ।

*१५—**श्री जगन्नाथ प्रसाद**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में सन् १९५३–५४ वित्तीय वर्ष में मत्स्य विभाग पर कितना व्यय हुआ और कितनी आमदनी हुयी ?

श्री हुकुमसिंह—९,७८८ रुपया खर्च किया गया जिसमें से अब तक ६,५४८ रुपया वसूल हो गया है, तथा ७,६८० रुपया ठेकेदारों से अभी वसूल होना बाकी है जिसकी वसूली के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो ९,७८८ रुपये खर्च किये गये हैं, किस-किस मद पर खर्च किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह—इसकी तफसील इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार को इस बात की कोई सूचना मिली है कि जिला खीरी में मत्स्य विभाग में जो जीप है उसका दुरुपयोग हुआ करता है ?

श्री हुकुमसिंह—नहीं ।

*१६—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—[स्थागित किया गया ।]

*१७—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट** (जिला अलीगढ़)—[स्थगित किया गया ।]

बाढ़ के कारण विस्थापित लोगों को नये गांवों में बसाने की व्यवस्था

*१८—**श्री राधामोहन सिंह** (जिला बलिया)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नये गांव बसाने में किसी योजना के अनुसार कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? एक परिवार के लिये कितनी भूमि दी जा रही है और प्रत्येक गांव में सार्वजनिक उपयोग के लिये कितनी भूमि किस–किस कार्य के लिये अलग रखी जा रही है ? क्या इसमें गांव वालों की भी राय ली जा रही है ?

श्री चरण सिंह—इस सम्बन्ध में जिलाधीशों को आदेश दिया गया है कि वे बाढ़ के कारण विस्थापित लोगों तथा उनको बसाने के लिये उपलब्ध भूमि की सूची तैयार रक्खें जिससे जरूरत-मंद लोगों को शीघ्र भूमि दी जा सके । यदि जिले में भूमि कम हो तो अपने डिवीजन के कमिश्नर को सूचित करें ताकि यदि संभव हो तो अन्य जिलों में प्रबंध किया जा सके । उपलब्ध भूमि यदि गांव समाज की है तो वह उचित मालगुजारी पर बाढ़–पीड़ितों को पट्टा कर दी जायगी । जहां दूसरे गांव ही बसाना पड़ेगा वहां लोगों को जमीन का कोई मूल्य न देना होगा परन्तु पुरानी आबादी की जगह गांव समाज के अधिकार में चली जायगी और उन लोगों को दी जा सकेगी जिनकी भूमि नये गांव के लिये ली गयी है । यह जमीन यथाशक्य ऊंची जगह पर होगी और गांव

वालों से कहा जायगा कि वे इसे आदर्श ढंग पर बसायें जिसमें आम रास्ता, खुली जगह, पानी के निकास आदि की उचित व्यवस्था हो। एक परिवार के रहने के लिय कितनी भूमि दी जाय इसका निर्णय जिला अधिकारी संबंधित लोगों की राय से जरूरत को देखते हुये स्वयं कर सकते हैं।

गांव समाज के कुल क्षेत्रफल का दशमांश सार्वजनिक कार्यों जैसे चरागाह, खलिहान आदि के लिये अलग रक्खेगा। इस सम्बन्ध में गांव वालों की भी राय ली जायगी।

श्री राधामोहन सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में किन-किन गांवों में यह योजना लागू की गयी है ?

श्री चरणसिंह---यह योजना सारे सूबे में लागू की गई है।

श्री राधामोहन सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जहां यह योजना लागू की गई है बसाने की वहां लोगों से राय ली गई है ?

श्री चरणसिंह---मैंने कहा कि ये आदेश इस प्रकार के गये हैं कि जहां जरूरत होगी वहां कलेक्टर ऐसा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मालमंत्री को यह मालूम है कि बाढ़पीड़ित क्षेत्र के निवासी, चाहे वे कितनी ही कठिन परिस्थिति में क्यों न हों, बाढ़ क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान में बसने के लिये तैयार नहीं होते ?

श्री चरणसिंह---जी हां, आम तौर पर यह बात सही है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांव समाजों के पास सार्वजनिक भूमि नहीं है वहां उनको बसाने के लिये जमीन एक्वायर करने के लिये भी सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री चरणसिंह---मैंने अर्ज किया अगर अपने गांव में जमीन नहीं है तो पड़ोस के गांव में अगर कुल रकबे के १० फीसदी रकबे से ज्यादा अनकल्टीवेटेड एरिया है तो नियम ११५-एल के मातहत उस गांव समाज को दूसरे गांव वालों को जमीन देने के लिये मजबूर किया जा सकता है, और दफा ११७ जमींदारी ऐबोलिशन ऐक्ट के मातहत उस जमीन को रिज्यूम कर सकते हैं और उन लोगों को बसा सकते हैं। अगर आस-पास में न हो और कोई इलाज न हो तो गांव वाले जाना चाहते हों तो आस-पास के जिलों में डिवीजनल कमिश्नर उन्हें जमीन दे सकते हैं और अगर गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहे तो एक्वायर भी कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट एक्वायर करने से बचना चाहती है क्योंकि उससे कुछ किसानों को नुकसान होगा।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में किसी गांव से इस तरह के प्रार्थना-पत्र उनके पास आये हैं कि वह गांव अलग बसा दिया जाय ?

श्री चरणसिंह---मुझे ठीक तौर पर याद नहीं है लेकिन मुझे धुंधला सा खयाल है कि दो-चार गांव से आयी है। उनको कलेक्टर के पास भेज दिया गया और कलेक्टरों को पूरा अधिकार दे दिया गया है, लिहाजा यहां दरख्वास्तें आने की जरूरत नहीं।

*१९-२०---**श्री सियाराम चौधरी** (जिला बहराइच)---[स्थगित किय गये।]

*२१-२२---**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)---[स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में चकबन्दी योजना कार्यान्वित करने में कठिनाई

*२३---**श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री** (जिला बांदा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चकबंदी योजना को सरकार कब से बांदा जिले में चालू करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह--अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि बांदा जिले में चकबंदी योजना लागू की जायगी तो कब से की जायगी ।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि बांदा जिले में किसानों के खेत बिखरे हुये हैं जिससे लोगों को एक दूसरे से नाजायज नुकसान होने का अन्देशा है ?

श्री चरणसिंह--जी हां, ज्ञात है ।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबंदी योजना को लागू करने से पहले किन बातों पर विचार किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--आप यह आम प्रश्न कर रहे हैं । यह तो बांदा का सवाल है ।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार का विचार बुन्देलखंड के सभी जिलों के लिये यही है या बांदा के लिये है ?

श्री चरणसिंह--बुन्देलखंड में जिस तरह की काश्त है और जिस तरह की जमीन है उसमें चकबंदी करना बहुत कठिन है, और अब तक हमारा विचार यह है कि जालौन और झांसी जिलों के कुछ इलाकों में चकबंदी हो सकेगी । हमीरपुर और बांदा में नहीं हो सकेगी । इसलिये पहले सारे सूबे में कर लें और तजुर्बा हो जाय और यदि मुमकिन हो गया तो बुन्देलखंड में भी जहां की जा सकती है उस पर विचार करेंगे ।

श्री जगपति सिंह--मंत्री जी जो बात कह रहे हैं वह बात पूर्ण रूप से सही नहीं है । कुछ जमीन ऐसी है जैसी मंत्री जी बता रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--वह तो आप अपनी राय दे रहे हैं ।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव--क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले में कुछ तहसीलें ऐसी हैं जहां पहाड़ी इलाका नहीं है ?

श्री चरणसिंह--उन सब का अपवाद तो मैं कर ही रहा हूं ।

*२४--श्री कल्याणचन्द्र मोहिले--[स्थगित किया गया ।]

तकावी रूल्स में परिवर्तन तथा मुरादाबाद जिले के लिए तकावी

*२५--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--क्या माल मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि उन्होंने किसानों की कठिनाई दूर करने के लिये तकावी रूल्स में कुछ परिवर्तन किये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--किसानों की कठिनाई दूर करने के लिये तकावी नियमों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं । उन परिवर्तनों के सम्बन्ध में एक विवरण मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २११-२१२ पर)

*२६--श्री महीलाल--क्या माल मंत्री बतायेंगे कि चालू वर्ष में जिलाधीश महोदय ने मुरादाबाद जिले के लिये कुल कितनी तकावी मांगी थी और उसमें से कितनी दी गयी है ?

श्री चरणसिंह--चालू वर्ष में जिलाधीश मुरादाबाद ने कुल १,४५,००० रु० ऐक्ट १२ तथा १९ के अधीन मांगी थी जिसमें से ७९,००० रु० उनको दी गयी ।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि परिवर्तित नियमावली शीघ्र से शीघ्र कब तक लागू कर दी जायगी ?

श्री चरणसिंह--जी, आदेश जारी हो चुके हैं ।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय को यह पता है कि सितम्बर तक यह नियमावली जिलों में काम में नहीं लायी जा रही है ?

श्री चरणसिंह--परिवर्तित आदेश या नियमों को अंतिम रूप जुलाई में दिया जा सका । तभी उनको जारी कर दिया गया । लैन्ड रिफार्म कमिश्नर के यहां से जारी हुये । वह जिस रोज से जारी किये जा सकते हैं, ऐसा मुमकिन है, उसी रोज से वह नाफिज होंगे ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी नियमों में जो परिवर्तन किये गये हैं उनकी मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--ये काफी लम्बे हैं । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा आप बाद में ले लें ।

श्री वजभूषण मिश्र--मुख्य-मुख्य मैं चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--मुख्य-मुख्य बातों में भी बहुत समय लग जायगा ।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, मुरादाबाद ने ऐक्ट नम्बर १९ और ऐक्ट नम्बर १२ के अधीन अलग-अलग कितनी तकाबी मांगी थी ?

श्री चरणसिंह--ऐक्ट नम्बर १२ के अधीन नार्मल तकावी उन्होंने ५० हजार रुपये की मांगी थी, आग से पीड़ित लोगों के लिये १५ हजार रुपये मांगे थे, बाढ़-पीड़ित लोगों के लिये ५० हजार रुपये मांगे थे, और बैल खरीदने के लिये ८१ हजार रुपये मांगे थे । पहली तीन तकावियां उन्होंने मांगी थीं । इसकी इत्तला हमारे यहां लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर के यहां से आ गयी और जितनी दे सकते थे उतनी दे भी दी । लेकिन बैल खरीदने के लिये ८१ हजार जो कहते हैं, लैन्ड कमिश्नर के पास इस किस्म का कोई खत जिलाधीश के यहां से नहीं आया । ऐक्ट नम्बर १९, नार्मल तकावी, उन्होंने ३० हजार रुपये की मांगी थी ।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बैल खरीदने के लिये तकावी जो मांगी गयी थी वह जून के महीने में मांगी गयी थी और अब तक नहीं पहुंची?

श्री चरणसिंह--इसकी नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या वह जो तकावी रूल्स में परिवर्तन करने जा रहे हैं क्या कोई ऐसा भी परिवर्तन है जिससे लैन्डलेस लोगों को भी तकावी दी जा सके ?

श्री चरणसिंह-- यह कंट्रैडिक्शन इन टर्म्स है । तकावी के मतलब उस कर्जा से है जो किसान को उसकी जमीन की जमानत पर दिया जा सकता है ।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री महोदय उस परिवर्तित नियमावली की एक-एक प्रति माननीय सदस्यों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह--ये एक्जिक्यूटिव आर्डर्स हैं । कोई उस तरह से रूल्स नहीं हैं । उनकी कापी देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । रख देंगे ।

*२७-२९--**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--[स्थगित किये गये ।]

गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में बस रूट बढ़ाने की मांग

*३०--**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में कितनी बसें किन-किन सड़कों पर चलती हैं ?

श्री चरणसिंह--इसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २१३ पर)

श्री कमलासिंह--क्या माननीय माल मंत्री जी को मालूम है कि जो बस आजमगढ़ से औढ़ियार जाने वाली है वह सिर्फ महनाजपुर तक ही जाती है ? औढ़ियार तक न कोई सड़क बनी है और न बस चली ?

श्री चरणसिंह--जो रूट मंजूर किया गया वह आजमगढ़ से औढ़ियार तक है, सैदपुर से इसको आगे जाना चाहिये, नहीं जाती है तो इसकी तहकीकात की जा सकती है । और रही सड़कों की बात, तो बहुत से बस वाले बिना सड़क के भी ले जाते हैं ।

नदी के कटाव में आ जाने वाली भूमि के लगान में छूट

*३१--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो जमीनें नदियों के कटाव के कारण नदी की धार में पड़ जाती हैं उनका लगान वह माफ कर देती है ?

श्री चरणसिंह--जी हां ।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के खेत कटाव से नदी में आ गये हैं और उनका लगान वसूल कर लिया गया है तो उस लगान को वापस करने के लिये आदेश देंगे ?

श्री चरणसिंह--यह तो नियम है, अगर गलती से वसूली हो गयी है और वह साबित हो जाय कि यह धार में बह गये जब कि मालगुजारी वसूल हो गयी उससे पहले, तो वापस हो जानी चाहिये ।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में जो खेत नदी में कट गये थे उनकी मालगुजारी न वसूल करने के लिये जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया गया था ?

श्री चरणसिंह--अगर इस तरह से आदेश दिये जायं तो रोज आदेश ही होते रहें । उनके नियम हैं, ऐक्ट है । नियम २०५ (बी) और ऐक्ट की धारा २७४ ।

*३२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर जिले में जमानिया-तारीघाट मार्ग पर बसों की कमी

*३३--श्री भोलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--क्या यातायात मंत्री बतलायेंगे कि गाजीपुर में जमानिया से तारीघाट जाने के लिये कितनी रोडवेज की गाड़ियां चलती हैं ?

श्री चरणसिंह--जमानिया से तारीघाट को रोडवेज की तीन बसें चलती हैं ।

श्री भोलासिंह यादव--क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे पहले उस लाइन पर साल भर पहले दो रोडवेज की और ५ प्राइवेट गाड़ियां चलती थीं ?

श्री चरणसिंह--जितनी भी चलती हों । सब के लाइसेंस का समय समाप्त हो गया और आगे को उनको रिन्यू नहीं किया गया क्योंकि उस पर सरकारी रोडवेज चलने वाली है ।

श्री भोलासिंह यादव--कितनी गाड़ियां चलेंगी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब में बता दिया कि तीन गाड़ियां चलेंगी ।

श्री भोलासिंह यादव--कितने दिन के बाद वह गाड़ियां और बढ़ायी जायंगी ?

श्री चरणसिंह--यह नहीं कहा जा सकता ।

हमीरपुर से आने-जाने वाली रोडवेज़ बसों में खराबी

*३४--श्री श्रीपति सहाय (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर आने-जाने वाली रोडवेज बसों में केवल १ जुलाई से ३१ जुलाई, सन् १९५५ तक किस-किस नम्बर की रोडवेज बस कितनी बार फेल हुयी ?

श्री चरणसिंह--निम्नलिखित राजकीय बसें १ जुलाई से ३१ जुलाई, १९५५ के दरमियान केवल एक-एक बार फेल हुयी ।

(१) ८००७/१८८
(२) ३८५१/३८
(३) ४६८१/७३
(४) ५३९२/११५
(५) ३६२०/६
(६) ४६८०/७५
(७) ७९७८/१८०

राठ में रोडवेज़ बस स्टेशन बनाने की योजना

*३५--श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राठ में जो रोडवेज बस स्टेशन है उस पर सालाना कितना खर्चा पड़ता है ? सरकार अपना निजी स्टेशन कब तक बनायेगी ?

श्री चरणसिंह--राजकीय वाहन विभाग ने जो इमारत राठ में किराये पर ली है उसका वार्षिक किराया ३०० रुपया है । इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन आदि पर वार्षिक खर्च १,५६० रुपये का है । राजकीय इमारत बनवाने के लिये भूमि खरीद ली गयी है । भवन के निर्माण का कार्य अगले वर्ष के लिये पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

श्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जमीन कब खरीदी गयी थी और इसको खरीदे हुये कितने साल हुये ?

श्री चरणसिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

*३६-३७--श्री राजवंशी (जिला देवरिया)--[स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में रुपयनपुर तथा सुरहनपुर ग्रामों के किसानों का लगान वसूली के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*३८--श्री उमाशंकर--क्या माल मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि ग्राम सभा मोलनापुर, पंचायत सर्किल महाराजगंज, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के प्रधान ने उनके पास यह शिकायत की है कि उक्त पंचायत के रुपयनपुर व सुरहनपुर ग्रामों की सन् १३६० फसली में छूट दी गयी, मालगुजारी फिर से वसूल की जा रही है ?

श्री चरणसिंह--ग्राम रुपयनपुर तथा सुरहनपुर के काश्तकारों ने इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिया था जिसमें इस प्रकार की शिकायत की गयी थी, परन्तु रबी १३६० फसली की इन गांवों की मालगुजारी में दी गयी छूट पुनः वसूल नहीं की जा रही थी बल्कि वास्तविकता यह है कि छूट दी गयी मालगुजारी का अधिकांश उसी वर्ष वसूल कर लिया गया था क्योंकि जमाबन्दी के कागजों में भूल से पूरी छूट दर्ज न हो सकी थी ।

नोट--तारांकित प्रश्न ३५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*३९--श्री उमाशंकर--क्या माल मंत्री छूट दी गयी मालगुजारी जो वसूल हो गयी है उसको वापस करने का आदेश देंगे ?

श्री चरणसिंह--अधिक वसूल की गयी रकम का कुछ अंश १३६२ फसली की मालगुजारी में मुजरा कर दिया गया है। शेष इस वर्ष की मालगुजारी में मुजरा कर दिया जायगा।

*४०--श्री उमाशंकर--क्या माल मंत्री को यह पता है कि १३६० फसली में सगड़ी तहसील में कितनी मालगुजारी छूट दी गयी और छूट दी गयी मालगुजारी में से उक्त तहसील के अधिकारियों ने कितना वसूल कर लिया ?

श्री चरणसिंह--१३६० फसली में तहसील सगड़ी में १०,०३८ रुपये की छूट दी गयी जिसमें से १,३६८ रुपये की उसी वर्ष वसूली कर ली गयी थी।

बस्ती जिले के बखिरा बाजार को सरकारी प्रबन्ध में लेने का विचार

*४१--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन १९५५-५६ के साल में बखिरा बाजार (जिला बस्ती) कितने में नीलाम हुआ था ? क्या सरकार बखिरा बाजार की वसूली गांव-सभा की सफाई आदि की व्यवस्था के लिये देगी ?

श्री चरणसिंह--जिला बस्ती में स्थित बखिरा बाजार के दो भाग हैं। जो बाजार मंगलवार को लगता है वह सन् १९५५-५६ में २,९५० रुपये में नीलाम हुआ। भविष्य में इस बाजार का कैसे प्रबंध हो यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

बलिया जिले में घाघरा व टोंस नदियों से क्षति-ग्रस्त ग्रामों को सहायता

*४२--श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बलिया जिला में घाघरा व टोंस नदियों की बाढ़ से कितने गांवों को क्षति पहुंची है और वहां सहायता के लिये वह क्या-क्या कर रही है ? क्या सरकार बांसडीह व रसड़ा तहसील के क्षतिग्रस्त गांवों की एक सूची देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--बलिया जिले में घाघरा व टोंस नदियों की बाढ़ से क्रमशः २११ व १४३ गांवों को क्षति पहुंची। जो सहायता इन ग्रामों को दी गयी वह इस प्रकार है :--

१--घर बनवाने के लिये बीज, बैल तथा कृषि सम्बन्धी औजारों के खरीदने के लिये बिना ब्याज की तकावी दी गयी।

२--निर्धन व्यक्तियों को अहैतुक सहायता (अनुदान) वितरित की गयी जो जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं के रूप में थी।

३--चारे की कमी होने के कारण सूखी घास और भूसे का प्रबंध किया गया।

४--आवागमन तथा संकटत्राण के लिये सरकारी व्यय पर नावों का प्रबंध किया गया।

५--स्थान-स्थान पर बाढ़ रक्षा केन्द्र खोले गये और उनमें चिकित्सा का उचित प्रबंध किया गया। निर्धन रोगियों का निःशुल्क उपचार किया गया। हैजे के टीके लगाये गये तथा पैल्युड्रीन की टिकियां बांटी गयीं।

६--पशु-चिकित्सा के लिये उचित प्रबंध किये गये और पर्याप्त संख्या में डाक्टर रक्खे गये जो ग्राम-ग्राम घूमकर चिकित्सा करते और आवश्यकता पर टीके लगाते हैं।

७--वे गांव जो नदियों के पेटे में ध्वस्त हो गये हैं उनके निवासियों के लिये भूमि नियोजित की गयी या की जा रही है। अस्थायी रूप में इन लोगों को फौजी बैरेक्स में जगह दे दी गयी है जहां पर वे अब भी रह रहे हैं।

८--बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के निर्धन विद्यार्थियों की ५ माह की फीस माफ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य सम्भव सहायताओं का उचित प्रबन्ध किया गया है। बांसडीह व रसड़ा तहसील के क्षतिग्रस्त ग्रामों की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

बलिया जिले में अतिवृष्टि से हानि

*४३--**श्री शिवमंगल सिंह**--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि बलिया जिले में अति वृष्टि के कारण किन-किन तहसीलों में कितना नुकसान हुआ है ?

श्री चरणसिंह--अति वृष्टि के कारण बलिया जिले की तहसीलों में जो नुकसान हुआ है वह इस प्रकार है:--

तहसील का नाम	लगभग मकानों को	नुकसान फ़सल को	योग
	रु०	रु०	रु०
बलिया	३,१२,७४०	१९,७५,२२३	२२,८७,९६३
बांसडीह	३,१६५	१३,४०,४८०	१३,४३,६४५
रसड़ा	९,७००	१४,४८,०००	१४,५७,७००
योग ..	३,२५,६०५	४७,६३,७०३	५०,८९,३०८

बदायूं जिले में शिकमियान अधिवासियों का सरकारी सूची में सम्मिलित किया जाना

*४४--**श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं की कौन-कौन सी तहसीलों में बिला तसफिया शिकमियान अधिवासियों को सरकारी सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और कौन-कौन सी तहसील में सम्मिलित नहीं किया गया है ?

श्री चरणसिंह--जिला बदायूं की सभी तहसीलों में बिला तसफिया शिकमियान अधिवासियों को सरकारी सूची में सम्मिलित कर लिया गया है।

*४५--**श्री शिवराजसिंह यादव**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं की कौन-कौन सी तहसीलों में बेवाओं के शिकमियान को अधिवासियों की सरकारी सूची में सम्मिलित कर लिया गया है और कौन-कौन सी तहसीलों में नहीं किया गया है ?

श्री चरणसिंह--ऐसा किसी भी तहसील में नहीं हुआ है। साधारणतया ऐसे शिकमियान को किसी तहसील में भी अधिवासियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। यदि गलती से कोई हो गया हो तो नोटिस जारी होने पर दुरुस्त हो जायगा।

हैदरगढ़ तहसील, जिला बाराबंकी में अधिवासी सीरदारों के गलत इन्दराज के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*४६--**श्री उमाशंकर मिश्र** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ में कागजात दुरुस्ती एवं नयी भूमि-व्यवस्था के अनुसार अधिवासी सीरदार के गलत इन्दराजों के सम्बन्ध में लगभग ८ हजार प्रार्थना-पत्र आये थे जिसमें से अधिकांश पर पूरी कार्यवाही नहीं हुयी है ?

श्री चरणसिंह--८ हजार नहीं। दिनांक ३० सितम्बर, १९५५ तक केवल २,५६३ प्रार्थना-पत्र गलत इन्दराजों के सम्बन्ध में प्राप्त हुये थे जिनमें से १ अक्तबर, ५५ तक १,८९० प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय हो चुका है।

गाजीपुर जिले की जमानियां तहसील में अमीनों और लेखपालों में हरिजन

*४७—श्री भोलासिंह यादव—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर की तहसील जमानियां में कितने अमीन हैं? उसमें कितने हरिजन और कितने पिछड़ी जाति के हैं?

श्री चरणसिंह—जिला गाजीपुर की तहसील जमानिया में कुल १६ अमीन हैं जिनमें से १ हरिजन तथा १ पिछड़ी जाति के हैं।

*४८—श्री भोलासिंह यादव—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जमानियां में कितने लेखपाल हैं और उस में कितने हरिजन हैं और कितने पिछड़ी जाति के हैं, और कितने अपने-अपने ग्राम में रखे गये हैं?

श्री चरणसिंह—तहसील जमानियां में कुल ७४ लेखपाल हैं जिनमें से २ हरिजन तथा १२ पिछड़ी जाति के हैं। केवल ३ लेखपाल अपने-अपने ग्राम में रखे गये हैं।

गाजीपुर जिले में गलत इन्दराज करने पर लेखपालों के विरुद्ध कार्यवाही

*४९—श्री भोलासिंह यादव—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में कितने लेखपालों के खिलाफ गलत इन्दराज करने पर कार्यवाही की जा रही है?

श्री चरणसिंह—इस समय केवल ३ लेखपालों के विरुद्ध गलत इन्दराज करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

हमीरपुर जिले में हरिजन लेखपाल

*५०—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि इस समय जिला हमीरपुर में तहसीलवार कितने लेखपाल हैं, उनमें हरिजनों की क्या संख्या है? क्या सरकार बतायेगी कि छः महीने पहले हरिजनों की क्या संख्या थी?

श्री चरणसिंह—जिला हमीरपुर में लेखपालों तथा हरिजन लेखपालों की वर्तमान तहसीलवार संख्या तथा छः महीने पूर्व हरिजन लेखपालों की तहसीलवार संख्या इस प्रकार है:—

तहसील	लेखपाल	हरिजन लेखपाल	६ महीने पहले हरिजन लेखपालों की संख्या
हमीरपुर	६२	..	१
मौदहा	९०	..	५
राठ	९९	५	५
महोबा	७०	२	२
चरखारी	७१	..	२
योग ..	३९२	७	१५

हमीरपुर जिले में भूतपूर्व पटवारियों की पुर्ननियुक्ति

*५१—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि जिले में तहसीलवार कितने लेखपालों को अलग कर के उनके स्थान पर भूतपूर्व पटवारियों को लिया गया है?

श्री चरणसिंह—तहसील हमीरपुर में जितने लेखपालों को पृथक कर के भूतपूर्व पटवारियों की नियुक्ति की गयी है उनकी तहसीलवार संख्या निम्नलिखित है : —

तहसील	पृथक किये गये लेखपालों की संख्या
हमीरपुर	२८
मौदहा	३६
राठ	२६
महोबा	१५
चरखारी	१४
योग ..	११९

कानूनगोओं तथा रजिस्ट्रार कानूनगोओं की तैनाती

*५२—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि कोई ऐसा नियम है जिसके कारण रजिस्ट्रार कानूनगो और कानूनगो उन तहसीलों में नहीं रह सकते जहां के वे निवासी हैं ?

श्री चरणसिंह—कोई सरकारी नियम तो नहीं है कि रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा सुपरवाइजर कानूनगो उन तहसीलों में जहां के वे निवासी हों, न नियुक्त किये जायं, किन्तु माल बोर्ड ने परिपत्र (Circular letter) इस आशय का जारी किया हुआ है कि गिरदावर कानूनगो उन जिलों में जहां के वे निवासी हों अथवा जहां उनकी भूमि सम्पत्ति हो, नियुक्त नहीं किये जायं तथा रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा नायब रजिस्ट्रार कानूनगो उन तहसीलों में न नियुक्त किये जायं जहां के वे निवासी हों अथवा जहां उनकी भूमि सम्पत्ति हो।

*५३-५४—**श्री जगन्नाथ प्रसाद**—[स्थानान्तरित किये गये]

अतारांकित प्रश्न

प्रतापगढ़ जिले में मोहनगंज तथा गडवारा बाजार के ठेकों का नीलाम

१—**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रतापगढ़ जिले के मोहनगंज तथा गडवारा बाजार के ठेके के नीलाम जनवरी, १९५५ के पश्चात् कितने रुपये में हुये ?

श्री चरणसिंह—कोई नीलाम मोहनगंज के बाजार का जनवरी, १९५५ के बाद नहीं हुआ, परन्तु गढ़वारा बाजार का वह हिस्सा जो जिला बोर्ड के देख-रेख में है, ४ मार्च, १९५५ को १८५ रु० में नीलाम हुआ।

२—**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (अनुपस्थित)—उक्त बाजार के ठेके के नीलाम किसके द्वारा किये गये ?

श्री चरणसिंह—मोहनगंज बाजार तथा गडवारा बाजार के उस हिस्से का नीलाम जो समाज में निहित है, भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा २४ और ३० दिसम्बर, १९५४ को हुआ, और गडवारा का वह हिस्सा जो जिला बोर्ड की देखभाल में है, जिला बोर्ड के सब ओवरसियर द्वारा ४ मार्च, १९५५ को हुआ।

३—**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (अनुपस्थित)—उक्त बाजारों में से किसी बाजार का नीलाम दो मर्तबा हुआ ? यदि हां, तो क्या कारण था ?

श्री चरणसिंह—सिर्फ मोहनगंज बाजार का दो बार नीलाम हुआ क्योंकि पहले नीलाम की बोली का चौथाई रुपया जमा नहीं किया गया था।

झांसी जिले में एक नाम से बसों के एक से अधिक परमिट

४—**श्री गज्जूराम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में कितने आदमियों के पास एक नाम से बसों के १ से अधिक परमिट हैं?

श्री चरणसिंह—झांसी जिले में १० आदमियों के पास एक नाम से बसों के १ से अधिक परमिट हैं।

श्री अवधशरण वर्मा की हत्या पर शोकोद्गार

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय एक दुःखद कर्तव्य का पालन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कल इस सदन के एक सदस्य, श्री अवधशरण वर्मा की मृत्यु हो गई। वह अपने जिले के बहुत ही अच्छे और होनहार कार्यकर्ता थे। अभी लगभग ४० वर्ष की उनकी उम्र थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के सिलसिले में दो बार जेल भी जा चुके थे और इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को उनसे परिचय रहा होगा और वह जानते होंगे कि वह कितने अच्छे व्यक्ति थे। ऐसे शख्स का निधन निश्चय ही असामयिक कहा जा सकता है और उससे हम सब का शोकग्रस्त होना स्वाभाविक है। परन्तु जिस दशा में, जिस प्रकार कि अवधशरण जी की मृत्यु हुई उस से दुःख और ज्यादा बढ़ जाता है।

कल देहात में एक गांव में सभा हो रही थी—पब्लिक मीटिंग। गांव का नाम शायद बद्दूपुर है। उस सभा में 'सियाराम' नाम के भी एक सज्जन उपस्थित थे। ऐसा मालूम होता है कि पास पड़ोस के कुछ लोगों से और सियाराम जी से किन्हीं कारणों से मनमुटाव था। सभा जिस वक्त हो रही थी, उसी वक्त ४–५ सौ आदमी लाठी ले कर वहां पहुंचे। उन्होंने सभा में जो लोग उपस्थित थे उनको डांट दिया "तुम लोग चले जाओ! तुम लोग कुछ दखल मत दो।" सभा में जो लोग मौजूद थे उनकी संख्या कम थी इन लोगों से जो आक्रमण करने आये, और सम्भवतः उनके पास लाठी-वाठी भी नहीं रही होगी। सभा वालों को इस प्रकार डांट कर उन लोगों ने सियाराम जी को लाठी से मारना शुरू किया—अकेले एक आदमी को। अवधशरण जी वहां उपस्थित थे, उनसे यह बात देखी नहीं गयी। उन्होंने सियाराम जी को बचाने की कोशिश की। जब उनके कहने से लोगों ने नहीं माना तो वह सियाराम जी के शरीर के ऊपर लेट गये, ताकि वह बच जायं और चाहे लोग उनको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन जो लाठियां सियाराम जी के ऊपर चलायी गयी थीं वह उनके ऊपर पड़ीं और उनकी मृत्यु हो गई। जहां तक हम जानते हैं सियाराम जी का भी वहीं देहान्त हो गया और वह गांव वाले दोनों लाशों को अपने साथ उठा ले गये।

इस वक्त तक हमें इतनी ही सूचना है। सम्भव है कि आगे और भी मिले, क्योंकि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां गये हुये हैं। जिस प्रकार उनकी मृत्यु हुई, जिस तरह दूसरे की जान बचाने की कोशिश में उन्होंने अपने प्राण दिये वह स्वयं उनके ऊंचे चरित्र और उनकी बहादुरी का बहुत बड़ा प्रमाण है। इतना बड़ा प्रमाण है कि उसके संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को इससे बहुत ज्यादा दुख हुआ है और मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप उनके परिवार के पास हमारी संवेदना पहुंचा दें।

साधारण तरह से तो जब किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना मिलती है तो हृदय से दुखी होते हुये भी हम लोग अपने शोक को व्यक्त करने के बाद सदन के काम को जारी रखा करते हैं, लेकिन यह मृत्यु विशेष परिस्थिति में हुई है और यह उचित है कि हम स्वर्गीय वर्मा जी के इस बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धा कुछ विशेष रूप से व्यक्त करें। इसलिये मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि अब लंच के समय तक के लिये इस सदन के काम को आज स्थगित कर दिया जाय।

---

* वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय माननीय अवधशरण जी की मृत्यु के संबंध में जो कुछ भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा उसमें मैं उनके साथ हूं। अवधशरण जी की मृत्यु का समाचार आज सवेरे मिला। हम लोग इस समाचार को सुन करके स्तब्ध हो गये। अवधशरण जी का स्वभाव कुछ इस प्रकार का था कि उनकी हत्या कर दी जाय और हत्या करने के लिये भी कुछ लोग तैयार हों, इसको सोचना हमारे लिये कठिन बात मालूम होती थी। जितने लोगों से अवधशरण जी का साबिका पड़ा होगा वे कम से कम मेरी ही राय के होंगे। अवधशरण जी का सार्वजनिक जीवन बड़ा पवित्र जीवन था। सार्वजनिक जीवन में एक राजनीतिक दल में भी रहते हुये दूसरे लोगों से उनका संबंध रहता था यह बहुत लोगों के लिये अनुकरणीय हो सकता है। अवधशरण जी सार्वजनिक कार्य करते रहे, और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया अपनी बहादुरी और उस त्याग को एक पराकाष्ठा तक पहुंचाने में ही उनकी जान गई। वे बच सकते थे बशर्ते कि वे अपनी जान का मोह ज्यादा करते बनिस्बत उसके कि जो उनका उद्देश्य था, दूसरों का परोपकार करने का, अगर किसी के ऊपर अनाचार हो रहा हो तो उसको रोकने का। हम आज माननीय अवध शरण जी को अपने में न पाकर अपने को बहुत कमजोर पाते हैं। ऐसे लोग किसी सार्वजनिक दल में बहुत भाग्य से मिलते हैं। वे हमारे बीच से आज उठ गये और जबरदस्ती उठा लिये गये। पिछले राष्ट्रीय आन्दोलन में मेरी जहां तक जानकारी है तीन या चार मर्तबा वे जेलखाना जा चुके थे। १९२०–२१ के बाद ही उन्होंने कांग्रेस में रह कर देश की खिदमत की। इधर जब से सोशलिस्ट पार्टी ने फैसला किया कि हम कांग्रेस से अलग रहेंगे, उस वक्त वह अलग हो गये थे। तब से भी वह बराबर सार्वजनिक सेवा करते रहे। इधर भी उन्हें एक आध मर्तबा जेल जाने का मौका आया था, इन्होंने कई वर्षों तक जेल जीवन काटा था और अपने जीवन में कई तरह की कुरबानियां की थीं और काफी कष्ट उन्होंने उठाया था।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमें सब से ज्यादा कष्ट इस बात का है कि अभी बाराबंकी में कुछ दिन पहले हमारे मित्रों में से एक मित्र छीन लिये गये थे। उसके बाद यह दूसरी घटना है। यह सार्वजनिक जीवन के लिये एक खतरा मालूम होता है। अध्यक्ष महोदय, हम न तो अपनी शान समझते हैं कि पिस्तौल ले कर जनता में जायं और न यह संभव ही है। अगर पिस्तौल लेकर जनता में सेवा करने के लिये जाने की नौबत आ जाय तो फिर कम से कम मैं इस बात को कहूंगा कि वह तो फिर सार्वजनिक जीवन ही नहीं? मैं देखता हूं कि जो स्थिति आज बाराबंकी में है, भगवान न करे ऐसी स्थिति हमारे देश में कहीं पर हो। यह बड़ी चिन्ता की बात है, यह ऐसा मौका है जिस पर मैं केवल संकेत के तौर पर माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि हम निर्भीकतापूर्वक अपना सार्वजनिक कार्य सम्पादित कर सकें। यह जो घटना-दुर्घटना है इससे तो हमें अपना फर्ज भी अदा करने में डर लगेगा? यह बात सोचने की है कि यह मृत्यु केवल हमारे मित्र अवधशरण जी वर्मा की नहीं है बल्कि उस सार्वजनिक कार्यकर्त्ता की मृत्यु है जो अपने ऊंचे उद्देश्यों को लेकर दूसरों का हित करना चाहता है, उस उद्देश्य की मृत्यु है।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी मृत्यु को कोई भी व्यक्ति पसन्द नहीं कर सकता है जो सार्वजनिक जीवन का कुछ भी प्रेमी हो। मैं फिर उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि आप उनके परिवार को हमारी पार्टी की ओर से, जिन शब्दों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने संवेदना प्रगट की है, उन्हीं शब्दों में उन तक पहुंचा दें। साथ ही मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो हमारे सार्वजनिक लोगों की मृत्यु होती है, उसके संबंध में हम संवेदना प्रगट कर दें, यह एक बड़ी ऊंची चीज है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आगे इस तरह की घटनायें न घटने पायें। मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं है कि मैं याद दिलाऊं किसी के फर्ज की, किसी के कर्त्तव्य की,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेन्दासिंह]

लेकिन इस तरफ हमें सोचने की जरूरत है कि ऐसे लोगों की मृत्यु होती है। उनके पीछे जो आश्रित होते हैं, उस तरह की मृत्यु हो जाने के बाद उनके आश्रित अनाथ हैं। मैं इन शब्दों के साथ उनकी आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि हमारे इन शब्दों को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, जिस विशेष परिस्थिति में श्री अवधशरण वर्मा जी की हत्या हुई उसको आज यहां इस सदन में सुन कर मैं बिल्कुल शब्द के बगैर रह गया हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी को तो कल शाम को इस बात की सूचना मिल चुकी थी। मुझे तो इस सदन में आते समय मिली और मैं कुछ इस संबंध में कह नहीं पा रहा हूं सिवाय इसके कि जिस चीज के लिये, जिस कार्य के लिये उन्होंने जान दी उसका एक आदर्श, एक नमूना हमारे सामने है और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी तरफ से तथा हमारे दल की तरफ से संवेदना आप उनके परिवार के पास पहुंचाने की कृपा करें। दुख इस बात का अधिक है कि कुछ ही समय पहले, जैसा कि मित्र गेंदा सिंह जी ने भी बताया, उसी जिले में एक और सदस्य की जो हत्या हुई उसके कुछ ही दिन बाद वहां से एक और सदस्य की हत्या का समाचार पाना कुछ आश्चर्य और दुख की बात है। मैं अधिक न कह कर, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से यही प्रार्थना करूंगा कि यह जो एक प्रकार की अराजकता फैल रही है वह संभवतः सीमा तक पहुंच चुकी है और इसके लिये एक दृढ़ कदम उठाना अब सरकार का फर्ज बन गया है, इसलिये नहीं कि सदस्य की हत्या हुई, वह सदस्य हों या न हों, इसका इस बात में विशेष महत्व नहीं रहता, लेकिन जो अराजकता दीखती है इस विशेष घटना में कि आम महफिल में एक एनाउन्समेंट करने के बाद एक मनुष्य की हत्या हो, मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी बात है कि जिसको रोकना सरकार के लिये बहुत ही आवश्यक हो गया है। मैं जानता हूं कि सरकार यथाशक्ति कार्य कर रही है किन्तु मैं यही कहूंगा कि एक और उदाहरण हमारे सामने है और वह इसके लिये दृढ़तापूर्वक जो उचित समझे, करने की कृपा करे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधशरण वर्मा जी की मृत्यु पर जो उद्गार प्रकट किये गये हैं उनसे मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं। उनसे मेरा १० वर्ष का व्यक्तिगत संबंध था। मैं उन्हें नजदीक से जानता था और विचारों से मेल होने के अलावा उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था, निष्कपट था और सरल था कि मैं तो आश्चर्य करता हूं, जैसा कि गेंदासिंह जी ने कहा कि किस तरह लोगों की हिम्मत हुई कि ऐसे अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति पर हमला किया जाय? उन्होंने अपनी मृत्यु के समय दिखला दिया कि उनका व्यक्तित्व कितना ऊंचा था ? उनके परिवार में कुल १० सदस्य हैं, जिनमें उनकी स्त्री, एक चार वर्ष का लड़का और चार महीने की एक लड़की है, और इसके अलावा छोटे भाई हैं। सबको मिलाकर कुल १० आदमी हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस विशेष और भयानक परिस्थिति में यह मृत्यु हुई है कि ५०० आदमी सुनियोजित ढंग से हमला करने आये, वह एक भयानक दिशा की ओर संकेत करती है। बाराबंकी में भगवतीप्रसाद जी की मृत्यु के बाद एक आम चर्चा है कि पुलिस, जितनी सर्तकता बरतनी चाहिये वह नहीं बरत रही है, और मैं समझता हूं कि यह दूसरी मृत्यु इसी पुलिस की ढिलाई के कारण हुई। और मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के सभी राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के लिये एक भयानक स्थिति की तरफ इशारा कर रही है। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में वर्मा जी और सियाराम जी गरीब किसानों और मजदूरों की ओर से संघर्ष करते रहे और उनकी इस मृत्यु का कारण वह पुराने जमींदार हैं कि जिनके स्वार्थों पर उनकी वजह से ठेस लगी। यह एक लम्बी कहानी है, माननीय मंत्री जी को शायद मालूम न हो लेकिन पुलिस के ऊंचे अधिकारियों को यह किस्सा मालूम है। ६,७ साल से रस्साकशी चल रही थी, थाने की पुलिस सदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमींदारों की तरफ रहती थी। बार-बार जमींदारों के हमले होते थे और किसान लोग उसका मुकाबिला करते थे। और वहां के पुराने जमींदारों का एक दल भी था। अभी मैं इसको बतलाना नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि कुछ राजनैतिक गन्ध भी इसमें है। मैं पूरी जानकारी करने के पश्चात् माननीय गृह मंत्री को बतलाऊंगा लेकिन इस दिशा की तरफ माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित होना चाहिये। उत्तर प्रदेश में जो इस प्रकार की यह मृत्यु हुई है वह इस सूबे की इस सदस्य के चले जाने के बाद तीसरी घटना है जो इस प्रकार मारकाट से हुई है। अवधशरण जी वर्मा की मृत्यु से वहां पर एक भयानक परस्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे जिससे जो सेवक लोग हैं और सार्वजनिक सेवा का कार्य करना चाहते हैं वह समाज में अपना कार्य कर सकें। जैसा कि अभी गेंदा सिंह जी ने कहा कि वह आदर्श मृत्यु के शिकार हुये लेकिन मैं उनके आश्रितों की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अवधशरण जी वर्मा के परिवार के साथ मैं भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि उनके परिवार तक मेरी यह संवेदना पहुंचा दें।

*श्री जगन्नाथ बख्श दास (जिला बाराबंकी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल सायंकाल बाराबंकी से आया। उस समय तक इस घटना का कोई पता नहीं था। अभी जब मैं सदन में आया तब एक मित्र ने मुझे बतलाया कि बाराबंकी में दूसरी घटना इस तरह की हो गई है। श्रीमन्, मैं नहीं समझ पाता कि अपनी व्यथा किस प्रकार से आपके सामने प्रकट करूं? मेरी, उस परिवार की और तमाम जिले की अवस्था इस घटना के बाद जर्जर सी हो गई है। हमारे जिले में सार्वजनिक जीवन एक असंभव वस्तु मालूम होता है। किसी कार्यकर्त्ता के लिये बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति पर गेंदासिंह जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। यह तो अवश्य है कि सार्वजनिक जीवन में कोई तोप, पिस्तौल लेकर काम नहीं करता है और यह भी सही है कि कोई पब्लिक मीटिंग किसी फौज की छाया में नहीं हो सकती है, लेकिन हमको एक वातावरण अवश्य पैदा करना है जिसके लिये हमको विशेष कोई परिश्रम करना है, जिससे सार्वजनिक जीवन साधारण तौर से बाराबंकी में चल सके।

अवधशरण वर्मा जी का जहां तक संबंध था उनके विषय में जैसा कहा गया वह सर्वथा सत्य है। उनका और मेरा करीब २० वर्ष का ताल्लुक था। वह भी कांग्रेस में काम करते थे और मैं भी काम करता था। वह भी हमारी कांग्रेस कमेटी के बहुत दिनों तक जनरल सेक्रेट्री रहे और बहुत ही योग्यता के साथ कार्य करते रहे। उसके बाद जब हमारा और उनका मतभेद हुआ तो वह एक भिन्न दल में चले गये और हम लोग जहां थे वहीं रहें। उसके बाद व्यक्तिगत संबंधों में किसी प्रकार का जरा भी अन्तर नहीं आया और आज भी जितने सार्वजनिक काम थे या जो काम ऐसे थे जिनमें मतभेद की संभावना थी या जो ऊंचे अधिकार की पालिसी का संबंध था उसमें अवधशरण जी वर्मा और हम मिलकर काम करते थे। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ, बल्कि मैं तो असंभव समझता था कि अवधशरण जी वर्मा पर कोई आदमी हाथ उठा सकता है! हम तो उनके लिये कहा करते थे कि वह तो एक "गऊ" आदमी हैं। वह इतने सीधे-सादे, इतने सज्जन और अपने स्थान पर वह इस तरह के थे कि इस प्रकार की घटना उनके साथ हो यह कोई भी स्वप्न में ध्यान नहीं कर सकता था। मैं अधिक न कहकर श्रीमन् से यह प्रार्थना करूंगा कि हमारी भी संवेदना उनके परिवार तक आपके द्वारा पहुंचाई जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी ने, अन्य दल के नेताओं ने तथा बाराबंकी के हमारे निर्वाचित सदस्य श्री जगन्नाथ बख्श दास जी ने इस दुखद घटना के संबंध में जो विचार और भावना प्रकट की है उसके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। इस जिले में एक दो महीने के अन्दर यह एक दूसरी दुखद घटना हुई है। मैंने पहली घटना के सिलसिले में इसी तरह का संकेत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

किया था जैसा संकेत कि आज स्पष्टतः श्री गेंदासिंह जी ने किया है। यह सार्वजनिक जीवन के लिये बड़े खतरे की चीज है, और इस तरह के जिनको निर्वैर और सज्जन पुरुष कहते हैं, उनकी नृशंस हत्या हो, यह किसी समाज के लिये बहुत ही अशोभनीय बात है ! यह पूरे समाज, सार्वजनिक कार्यकर्ता और सरकार सब का काम है कि वे ऐसी परिस्थिति से समाज को छुटकारा दिलायें नहीं तो प्रजातांत्रिक पद्धति को कायम करने में ही हम सफल न हो सकेंगे। उसके लिये आवश्यक है कि सार्वजनिक कार्यकर्त्ता निर्भीकतापूर्वक अपने विचारों को शांतिपूर्ण वातावरण में प्रकट करें और समाज में इतनी सहिष्णुता हो कि चाहे वाक् युद्ध कितना ही कर लें लेकिन एक दूसरे पर हाथ न उठायें और अहिंसा के सिद्धन्तों को कायम रख सकें।

मैं समझता हूं कि अवधशरण जी ने बलिदान देकर सब का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है और मैं अभिलाषा करता हूं कि उनका बलिदान इस विषय में सफल हो जैसे और महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर उलझी हुई समस्याओं को भूतकाल में भी सुलझा दिया था। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से यह बलिदान भी साबित हो, सबकी आंखें खोलने के लिये और हमारे लिये भी यह इसी प्रकार मार्गदर्शक साबित हो।

उन्होंने जो आदर्श रक्खा है उसके द्वारा मैं समझता हूं कि उन्होंने इस सदन का माथा ऊंचा किया है। मुझे दुख तो अवश्य है और इस सदन को भी उसका अफसोस है, वह शोकाकुल है, लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी सदस्य रहें जिन्होंने अपनी जान दूसरे व्यक्तियों के लिये अहिंसा और गांधी जी के उच्च आदर्शों के अनुसार गंवाई, अपना बलिदान दिया, इसका हमें गौरव है। उन्होंने इस प्रकार का एक आदर्श रख कर हम सब के लिये एक नमूना उपस्थित किया है। मैं समझता हूं कि हमारे लिये यह एक दुखद मृत्यु है लेकिन उस व्यक्ति के लिये जिसने दूसरों के लिये अपनी जान दे दी, मैं समझता हूं कि बड़े अभिमान की बात है। इसके लिये उन के प्रति लोगों में पूज्य श्रद्धा की भावना अवश्य होगी।

मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपकी ओर से और स्वयं अपनी ओर से ऐसे आदमी के प्रति जो इतना सीधा आदमी था और अन्त तक सीधा रहा, और जिसने अपने एक सार्वजनिक साथी की जान बचाने के लिये स्वयं अपनी जान खो दी हो, मैं उनके कुटुम्ब के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। हमको यह भी कहना चाहिये कि वह कुटुम्ब भी इस विषय में अभिमान के योग्य है कि उनके कुल में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने एक आदर्श दुनिया के सामने रक्खा, जो अनुकरणीय है। मैं आपकी और अपनी ओर से उनके कुटुम्बियों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और प्रार्थना के बाद जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुझाव दिया उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के हेतु, सदन कुछ काल के लिये स्थगित होगा और लंच के बाद सवा दो बजे फिर बैठेगा। अतः आप दो मिनट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिये भगवान से प्रार्थना करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं, सवा दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १२ बजकर ३१ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

साप्ताहिक कार्य-क्रम के विषय में पूछ-ताछ

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आज सोमवार है और नियम के अनुसार सरकार के लिये जरूरी है कि सप्ताह का कार्यक्रम बता दे कि कब से यह सेशन बन्द हो रहा है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सोमवार को कार्यक्रम बता दिया जायगा, इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि यह सेशन कब खत्म हो रहा है, कब फिर से आरम्भ होने की संभावना है और इस सप्ताह का क्या कार्यक्रम होगा ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में जब हम आज उठने लगेंगे, उससे पहले सूचना दे दूंगा।

कार्यक्रम में परिवर्तन

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—आज सुबह माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय नेता सदन से यह प्रार्थना की थी कि बजाय पंचवर्षीय योजना के केन रूल्स पर आज विचार हो जाय। माननीय नेता विरोधी दल यहां नहीं हैं, वह शायद बाराबंकी चले गये हैं। इसलिये जहां तक हमारा संबंध है, हमें उस सुझाव को मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये बजाय फाइव ईयर प्लान के उन केन रूल्स पर ही इस समय विचार हो जाय जिन पर बहस पहले से चल रही है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, हमारी तरफ से तो यह निवेदन ही था।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ पर विवाद

नियम २४—(क्रमागत)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, नियम २४ के अन्तर्गत माननीय जगन्नाथ मल्ल ने इस प्रकार का संशोधन रखा था कि फैक्टरी का अध्यासी सुरक्षित क्षेत्र के संबंध में परिशिष्ट ३ के आकारपत्र २ में केन उत्पादकों का रजिस्टर तैयार करेगा और प्रत्येक केन उत्पादक को तदनुसार सूचना देगा और वह उस का निरीक्षण भी कर सकेगा। इस तरह का संशोधन जगन्नाथमल्ल जी ने रखा था। यह संशोधन बहुत साफ है, इस में इसके द्वारा केवल इतनी ही मांग की गई है कि अभ्यर्थी का जब सुरक्षित क्षेत्र निश्चित कर दिया जाय और परिशिष्ट ३ के आकार २ के अनुसार रजिस्टर तैयार हो तो गन्ना उत्पादकों को भी उसकी जानकारी कराये और प्रत्येक गन्ना उत्पादक चाहे तो उस रजिस्टर को भी देख सके। श्रीमन्, इस नियम के ३१ वें पेज पर 'ए' और 'बी' नकशे को देखा जाय तो इससे साफ मालूम हो जायगा कि किस क्षेत्र के किस व्यक्ति का कितना गन्ना मील में जायगा और उसके बाद कितना गन्ना उसके पास बचेगा। इस नकशे को बिना देखे मालूम नहीं होता है कि किसान के पास कितना गन्ना है, कितना गन्ना उसका अध्यासी के रजिस्टर में दर्ज है, कितना छूटा हुआ है और कितना बढ़ा हुआ है यह जानकारी गन्ना उत्पादकों को नहीं होती। यह संशोधन इसीलिये लाया गया है कि उनको जानकारी हो जावे। इस नकशे में यह भी साफ लिखा हुआ है कि कुल जोत कितनी है, पूर्ति का कोटा कितना है, गन्ने का क्षेत्रफल आदि-आदि इस तरह के आंकड़े उस नकशे में हैं। तो श्रीमन्, यही मांग उनकी है और हम समझते हैं कि हर शख्स की मांग यही हो सकती है कि यह जानकारी कम से कम उनको हो जाये। बहुत से गन्ना उत्पादक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि जो सुपरवाइजर हैं वह गन्ना लिखने में, उसकी सूचना एजेंट को देने और अध्यासी को देने में गलती करते हैं और उन गलतियों का परिमार्जन यदि गन्ना उत्पादकों द्वारा रजिस्टर को देखने से हो जाय और उनको सूचना मिल जाय तो बखूबी हो सकती है। उस दिन माननीय उपमंत्री ने कहा था कि अध्यासी कितनी नोटिस छपवायेगा। मैं निवेदन करता हूं कि इसमें नोटिस की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो रजिस्टर देखने की बात है। इसमें कुछ खर्चा नहीं होता और गन्ना उत्पादक की जानकारी बढ़ जाती है और वह निर्णय करता है कि कैसे वह गलती ठीक हो जाय। मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन को माननीय नियोजन मंत्री जी अवश्य स्वीकार करेंगे।

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन अनावश्यक है। गन्ने की परताल प्रत्येक गन्ना सोसाइटी करती है। उसके पास अलग से रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर की बिना पर सोसाइटी गन्ना आफर करती है और उसी को मिल मंजूर करता है और उसी रजिस्टर के आधार पर गन्ना के काश्तकारों को परचियां बट जाती हैं। मिलों में जो लिस्ट रहती है उसका मुख्य उपयोग तो यह है कि मिल मालिक देख ले कि सोसाइटी ने जो

[श्री फूल सिंह]

आफर किया है वह बिलकुल फरजी तो नहीं है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सोसाइटियां नहीं हैं इसलिये गन्ने की संख्या जो गन्ना सोसाइटियों की ओर से नहीं दी जाती कुल ६ प्रतिशत हैं। तो उनके लिये इस रजिस्टर से लाभ हो भी सकता है लेकिन असल इलाज इस रजिस्टर का ठीक करना नहीं है बल्कि असल इलाज तो सारे प्रांत के किसानों का गन्ना इन सोसाइटियों द्वारा आना है और जहां गन्ना सोसाइटियां नहीं हैं वहां उनका निर्माण करना है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मंत्री जी ने जो कुछ भी जवाब दिया है वह स्वयं उनकी बातों को कंट्राडिक्ट करता है। वह कहते हैं कि संशोधन कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हर मिल में गन्ना सोसाइटीज होती हैं और वे हिसाब-किताब रखती हैं। मिल मालिक भी अपनी जानकारी के लिये यह सब रेकार्ड बनवा कर रखता है तो सरकार को इसमें यह संशोधन रखने की कोई जरूरत नहीं है। मिल मालिक को सोसाइटीज फीगर्स देती रहती है और इसमें उसका फायदा है। रूल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ६ परसेंट केसेज ऐसे हैं जिनका किसी सोसाइटी से संबंध नहीं है और उन्हीं के लिये ज्यादातर यह बनाया गया है। तो जब नियम बनाया गया है चाहे वह ६ परसेंट के लिये हो या १०० परसेंट के लिये हो लेकिन जब कोई कानून बनाते हैं तो उसमें कोई खामी नहीं रहनी चाहिये। यह बिल्कुल साफ है अगर्चे किसानों को यह पता लग जाय कि मिल ने क्या लिखा है और कितना सोसाइटीज ने लिखा है उसके ऊख बोने के संबंध में वह सोसाइटीज की तरफ से तो चला जायगा लेकिन मिल की तरफ से न जाने से असुविधा होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि उनको सूचना दी जाय।

दूसरी चीज यह कि पिछली दफा बोलते हुये माननीय मंत्री जी ने धारा २७ का हवाला दिया और कहा कि इसके मातहत जब वे चाहें प्राप्त कर सकते हैं इसकी नकल, लेकिन उसको चार आने पैसे देने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि किसानों की ऐसी हालत नहीं है कि चार आने पैसे देकर इस किस्म की चीज को प्राप्त करने का प्रयत्न करें क्योंकि इसमें उसे बड़ी झंझट होगी। चार आने खजाने में जाकर जमा करेगा, फिर उसे रसीद मिले। उसे ले जाकर बाबू के पास जाय और बाबू भी घंटा आध घंटा देर लगा सकता है इसलिये मैंने इसे रक्खा था और बहुत सीधा-सादा संशोधन है। माननीय मंत्री जी को इसे मंजूर कर लेना चाहिये क्योंकि यह हित में है। ऐसी चीज नहीं है कि इसकी जरूरत न हो और बिना जरूरत यह संशोधन हो। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय नियोजन मंत्री इस पर कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २४ में पंक्ति ३ में शब्द "गन्ना उत्पादक" और "उसका" के बीच "को तदनुसार सूचना दी जायगी और" बढ़ा दिया जाय और "निरीक्षण" के बाद "भी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम २७

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि नियम २७ की पंक्ति १ और २ में शब्द "प्रार्थना-पत्र" और शब्द "प्राप्त होने" के बीच का शब्द निकाल दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें से

निकाल देने पर यह इस प्रकार हो जाता है "फैक्टरी का अध्यासी लिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर किसी उत्पादक के सम्बन्ध में उत्पादकों के रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की प्रतिलिपि किसी व्यक्ति को दे सकता है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का जो यह संशोधन नियम २४ में है कि वह अपना जो काम करेगा, जो रजिस्टर में दर्ज करेगा उसकी एक सूचना, एक कापी गन्ना उत्पादक को दे देगा। और उसको निरीक्षण करने का अधिकार भी रहेगा। तब यह संशोधन या यह २७ नियम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन श्रीमन, जब वह संशोधन अस्वीकृत हो गया तो इसकी अति आवश्यकता है कि जो गन्ना उत्पादक हैं, केन सोसाइटियों की तरफ से या मिल की तरफ से देहातों में, जो उनके कामदार होते हैं पड़ताल करने के लिए जाते हैं। वह जो पड़ताल करके अपने यहां ले जाते हैं उनको पता नहीं रहता कि हमने जो गन्ना बोया है वह ठीक-ठीक पड़ताल हुआ है या नहीं हुआ है। वह खेतों में जाकर पड़ताल तो करते नहीं। वह एक जगह पर कहीं बैठ कर जिस तरह से लेखपाल या पटवारी एक जगह बैठ कर सबके खेतों की पड़ताल कर लेता है और उसमें कई जगह ऐसी गलतियां रह जाती हैं जैसे कहीं गेहूं है तो परती लिख देता है। ठीक उसी तरह से सुपरवाइजर और कामदार गन्ने के खेतों की पड़ताल करने जाते हैं वह खेतों में न जा कर एक जगह बैठ कर पड़ताल करते हैं। और जो गन्ने का अन्दाजा होना चाहिए कि इतने मन होगा या इतने एकड़ में इतना होगा वह ठीक-ठीक पड़ताल नहीं हो पाती है। तो उसको पर्चियां मिलने में कठिनाई होती है। उसका पूरा गन्ना जो वक्त पर गिरना चाहिये, वह गिर नहीं पाता। उसको अपने गन्ने की जो पड़ताल हुई है उसकी ठीक-ठीक जानकारी हो जानी चाहिये। नियम २७ में है कि जब उसको अपनी इंट्री की नकल लेनी होगी या जानकारी करनी होगी कि हमारे पास कितना मन गन्ना है तो उसको दरख्वास्त देनी पड़ेगी मिल में कि उसके गन्ने की पड़ताल की नकल उसको मिल जाय। नियम २७ में यह है कि जब वह चार आने पैसे देगा तो गन्ने की पड़ताल की नकल जो है वह उसको मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन है कि उससे चार आने पैसे न लिये जायं बल्कि उसकी पड़ताल की नकल उसको मुफ्त दी जाय इसलिये कि गन्ना उत्पादकों से मिल मालिक करोड़ों की सम्पत्ति पैदा करता है। श्रीमन, आपको और सदन को सब को विदित है कि मिल मालिकों ने उन गन्ना उत्पादकों से इतना मुनाफा कमाया है कि एक मिल के बजाय दूसरी मिल भी खड़ी कर ली है और गन्ना उत्पादक जब अपने खेत में गन्ना पैदा करके खड़ा करता है तो तैयार होने के बाद से उस गन्ने की लूट सी मच जाती है। वह गन्ना जो तैयार होता है वह खेत में पहुंच जाते हैं। वह गन्ना जब छील करके ले चलता है तो रास्ते में जगह-जगह पर उसके मांगने वाले कहीं साधू बन कर, कहीं मन्दिरों के वास्ते मांगते हैं, जब वहां से कांटे पर ले जाते हैं तो उसके गन्ने की कटौती होती है। तो इस प्रकार अनेकों प्रकार से गन्ने की, उसकी गाढ़ी कमाई की, लूट होती है। जब वह गन्ना मिल को जाता है, तो गन्ना गिरा देने के बाद उसको चाहिए यह था कि गन्ना उधर गिराये और इधर उसको पैसा मिल जाय। लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता। साल-साल, दो-दो साल उसको पैसा नहीं मिलता। उसको परेशान होना पड़ता है। पैसा मिल मालिक के पास पड़ा रहता है। वह उसका सूद खाता है। जब पैसा दिया जायगा तो पैसा का पैसा मिलता है। सारा मुनाफा उस गन्ना उत्पादक के परिश्रम का मिल मालिक उठाता है। श्रीमन, मुझे इसी पर एक किस्सा याद आ गया। देहात के लोग कहते हैं कि चना बोया जाता है, चने को लोग खेत में बोने के लिए लाते हैं, तब खाते हैं उगने पर खोंट कर साग खाते हैं। उसके बाद तैयार होने पर होरहा खाते हैं फिर खोसाते हैं तब खाते हैं। इस

[श्री रामसुभग वर्मा]

तरह से चना परेशान हुआ अपने खाने वालों से, तो गया ईश्वर के यहां कि महाराज हमको लोग जहां पाते हैं वहीं खाते हैं, इसलिये मेरी रक्षा होनी चाहिये । तो भगवान ने कहा कि हमारे पास से तुम चले जाओं नहीं तो मेरी भी तबियत तुमको खाने को होती है । ठीक उसी तरह से गन्ना उत्पादक की हालत है जहां जाता है वहीं उसको लोग खाना ही चाहतें हैं । अब इसमें थोड़ा सा मौका है उसको कि वह अपनी नकल ले, तो बिना पैसे के दी जाय । मिल वाले उसकी सारी कमाई ले लेतें हैं और मिलें बनवा लेते हैं, कोठा पर कोठा बनावाते हैं, ऐशोआराम करते हैं, लेकिन उसको जब परताल की नकल लेनी होती है तो मंत्री जी कहते हैं कि नहीं नकल लेते वक्त उसको चार आना देना होगा तभी नकल मिल सकती है । तो श्रीमन, मैं चाहता हूं कि यह बिल्कुल सीधासादा संशोधन है और किसान के हित का संशोधन है इसलिये मंत्री जी इसको सहर्ष स्वीकार करेगें ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन जो संशोधन श्री रामसुभग वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । इसके पहले मेरा जो संशोधन था उसके बारे में मंत्री जी ने कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है कि मिल अपनी तरफ से लोगों को बांटे क्योंकि इसका प्रावीजन धारा २७ में है और उस धारा में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह यह है कि अगर कोई किसान चाहेगा कि उसको उसके उस फार्म की जो ग्रोवर्स रजिस्टर होगा उसकी नकल दे दी जाय ताकि उसको पता लग सके कि कितना गन्ना उसके यहां पैदा हुआ है तो मिल मालिक ४ आने लेगा तभी मिल सकता है । श्रीमन, यह बहुत दिक्कत की बात होगी । मैंने अभी अपने पिछले संशोधन पर बोलते हुए सदन का ध्यान उस दिक्कत की तरफ दिलाया था कि बड़ी दिक्कत होगी, ४ आना ले जायगा फिर खजाने में जमा करेगा फिर रसीद मिलेगी, पहले तो मैनेजर के पास हुक्म के लिये ले जायगा । इस तरह से एक दिन भी लग सकता है और जैसा मिलों का हाल रहता है उस तरह से तो उसको २ रोज ३ रोज उस नकल के लेने में लग सकतें हैं। अगर माननीय मंत्री जी इस पर तैयार नहीं हैं कि मिल वाले खुद ही ग्रोवर्स के पास उसको पहुंचवा दें ताकि वह जान सके कि हमारी कितनी ऐन्ट्री हुई है तो कम से कम जो ग्रोवर्स चाहें कि हमको उसकी नकल मिल जाय कि हमारी कितनी ऐन्ट्री है, कितना गन्ना और कितने बीघे की ऐन्ट्री हुई है तो उसको मिल जानी चाहिये और कोई वजह नहीं है कि उससे ४ आना पैसा लिया जाय । जैसा वर्मा जी ने बताया कि किसान से कम भाव पर गन्ना लेकर मिल मालिकों ने लाखों रुपया कमाया और एक मिल की जगह पर कई मिलें खड़ी कर लीं, यह बहुत सही है और कितने किसान आयेंगे जोड़ लिया जाय, अगर ४०० भी आये या ८०० आये कितना मिल मालिक को प्राप्त होगा, उसकी वह फिक्र नहीं करता है । तो अगर इस तरह से किसानों को राहत मिल जायगी तो कोई वजह नहीं है कि ४ आने रखा जाय। यह मिल मालिक के लिये तो कोई बोझ है नहीं लेकिन किसान के लिये आजकल के जमाने में ४ आना बहुत बड़ा बोझ है । इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें क्योंकि चार आने से कोई चीज घटती बढ़ती नहीं है और मिल मालिक को कोई बोझ भी नहीं पड़ता है और जब कोई भी जायगा तो एक पुर्जी के बनाने में एक या दो मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह जो वर्मा जी का प्रस्ताव है उसको मंत्री जी स्वीकार कर लें ताकि किसानों को जो असुविधा होगी वह नहीं होगी और उनकी सहूलियत हो जाय ताकि जब वह चाहें अपने रिकार्ड की नकल बिना किसी दिक्कत के ले सकें ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से माननीय रामसुभग वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् यह धारा १३ की उपधारा (ख, ग) के अधीन यह नियम बनाया जा रहा है। उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि "रजिस्टर में सही किये गये अथवा बढ़ाये गये सूत्रों के सम्बन्ध में और रजिस्टरों में दर्ज किये गये सूत्रों की प्रतिलिपि देने के सम्बन्ध में निर्धारित मूल्य पर भुगतान भी किया जा सकता है"। तो जहां तक रजिस्टर को सही करने का प्रस्ताव है या नये सूत्र को बढ़ाने का प्रश्न है वहां कोई शुल्क नहीं लगाया गया, लेकिन जहां प्रतिलिपि देने का प्रश्न है वहां पर ४ आने का शुल्क लगा दिया गया। अगर शुल्क लगाना था तो यह समझा जा सकता था कि दोनों स्थितियों में चाहे प्रतिलिपि लेनी हो या नये सूत्र को बढाना हो, चाहे किसी सूत्र की गल्ती को दुरुस्त करना हो, तो अर्जी के साथ ४ आने शुल्क दोनों स्थिति में लिया जा सकता था और लिया जाना चाहिये। लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं होती कि प्रतिलिपि लेने के सम्बन्ध में ४ आने शुल्क लिया जाय और किसी सूत्र को सही करने के लिये या कोई नया सूत्र बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिये, निःशुल्क कर दिया जाय। जो पुराना नियम १४ का इस सम्बन्ध में था उसकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"The occupier or manager of a factory shall give a copy of the entries in the growers register on application made before 15th December in any year to any person on receiving payment at the rate of one anna for each grower."

इसके अनुसार केवल एक आना देने पर नकल मिल सकती थी और अब एक आने के स्थान पर चार आने किये जा रहे हैं। यह एक आने और चार आने की बात और कुछ बात नहीं है और इसमें सिद्धान्त की बात भी नहीं है लेकिन मैं इस शुल्क को उचित नहीं समझता। अर्जी देने के बाद कोई कारण समझ में नहीं आता कि जब इतना सारा स्टाफ फैक्टरी का मौजूद है तो जिस प्रकार से किसी एंट्री को सही करा सकते हैं उसी प्रकार नकल भी फ्री दे सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको अवश्य स्वीकार कर लेंगे। यह समानता लाने की बात है और स्पष्टता लाने की बात है और जो परस्पर विरोधाभास है उसको दूर करने की बात है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्मा जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है वह है तो बहुत मामूली और मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो ४ आना रखा गया तो किसान भी समझेगा कि हमको देना पड़ेगा और मिलमालिक अपना रजिस्टर ठीक रखेगा क्योंकि फीस देकर ऐनी मोमेंट डिमांड कर सकते हैं, तो इन्कार नहीं हो सकता और अगर इन्कार करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इसलिये यह रखा गया है। यह कोई खेल की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जो नियम बन रहे हैं वह ठीक बन रहे हैं और किसान को ४ आने दे करके सही आंकड़े और सही फिगर्स मिल सकेंगे और मिलमालिक को देने पड़ेंगे। बहुत घपलेबाजी नहीं करेंगे और अगर करेंगे तो उनके खिलाफ केस चलेगा और फैक्टरी को लास हो सकता है और फ्री कर दिया जाय तो रोज रोज लोग पहुंचेंगे।

दूसरी बात यह है कि हमारे भाई को चाहिये कि किसान के बीच में जाकर काम करें और उनको शिक्षित बनायें जिससे जिस दिन जांच पड़ताल हो तो उस दिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनारायण]

खेत का काम देख सकें कि ठीक लिखा गया । इसलिये सब से बड़ी बात किसानों को शिक्षित करने की है । अगर हमारे वर्मा जी इसमें सहयोग देते तो बहुत बड़ी कामयाबी होती । इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वह इसे वापस ले लेंगें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्री मान माननीय गुप्ता जी ने यदि रामसुभग वर्मा के संशोधन का विरोध किया तो कोई ताज्जुब मुझे नहीं मालूम हुआ । लेकिन जब माननीय शिवनारायण जी ने विरोध किया तो कुछ ऐसा लगा मुझे कि शिवनारायण जी भी वकालत उन्हीं लोगों की करना चाहते हैं जो किसानों की कमाई को लूट करके हुकूमत को कायम रखने के लिये पैसे देते हैं । यह बात सही है कि कामदार जिस वक्त पड़ताल करता है उसकी जानकारी अगर किसानों को हो तो पड़ताल ठीक से करा सकते हैं । लेकिन किसान को मालूम नहीं होता कि पड़ताल कामदार किस दिन करेगा और शिवनारायण जी को भी नहीं मालूम होता होगा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में किस गांव की किस दिन पड़ताल होगी । शायद वे असेम्बली के मेम्बर हैं उनके खेत या गांव की पड़ताल करने के लिये कामदार आये तो उनसे कह दें लेकिन यह संशोधन जो रामसुभग वर्मा जी ने रखा है वह उनके लिये है कि जो बेचारे मूक हैं, जिनके आंख तो है लेकिन आंख के अन्धे हैं और फिर चार आने पैसे ऐसे लोगों की कमाई से जायं मिलमालिकों के पास । चार आने पैसे, हो सकता है शिवनारायण जी की नजर में कम महत्व के हों, लेकिन मैं समझता हूं कि शिवनारायण जी जहां के रहने वाले हैं और जिस बिरादरी के हैं उनके लिये ४ आने बहुत महत्व के हैं ।

श्री शिवनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । श्रीमन् यहां ४ आने के बारे में अमेंडमेन्ट है हमारी बिरादरी का नहीं है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को बिरादरी का शब्द वापस लेना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जो चार पैसे में अब भी मजदूरी करते हैं वे गरीब किसान शिवनारायण जी के हुक्म से चार आने जमा करें तब रजिस्टर देख सकेंगे । माननीय गुप्ताजी इस तरह से उन गरीब किसानों के प्रति कहें, तो कोई बात नहीं है, लेकिन माननीय शिवनारायण जी को ऐसा नहीं कहना चाहिये । यह बात सही है और माननीय शिवनारायण जी ने भी यह दलील दी कि मिलमालिक को पैसे मिलेंगें तो वह रजिस्टर ठीक रखेगा और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो रजिस्टर ठीक नहीं रखेगा जिसका नतीजा यह होगा कि नुकसान होगा । लेकिन उस नुकसान को बचाने के लिये वह गरीब किसान पैसे कहां से दे सकेगा । उस नुकसान से गरीब किसान को बचाने के लिये यह संशोधन है और अगर ऐसा है तब तो मैं समझता हूं कि शिवनारायण जी को इसका समर्थन करना चाहिये और यदि शिवनारायण जी का यह मकसद है कि मिलमालिक जो रजिस्टर में पैसा लगाता है उससे उसको चौगुना लाभ हो तो फिर बात दूसरी है क्योंकि मिल जो वह चलाता है वह तो फायदे के लिये है ही और जो रजिस्टर का हुक्म दे रहे हैं उसमें भी उसको फायदा हो । तो मैं निवेदन करूंगा माननीय नियोजन मंत्री जी से और शिवनारायण जी से कि रामसुभग वर्माजी के संशोधन को जो कि गरीब किसानों और मजदूरी करने वालों के हित में है स्वीकार करें ।

(श्री उपाध्याक्ष ने श्री रामसुभग वर्मा का नाम भाषण देने के लिये पुकारा)

श्री रामसुभग वर्मा---पहले माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लेता ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता हूं। आप कहें, फिर शायद बाद में वह भी कुछ कहें।

श्री रामसुभग वर्मा—श्रीमान जी, मंत्री जी ने अभी कुछ बतलाया नहीं है कि वह स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। अगर वह स्वीकार कर लेते तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माननीय शिवनारायण जी की बात तो ऐसी मालूम होती है और वह उस तबके के प्रतिनिधि हैं जिसका कि मैं हूं। इस संशोधन का जो उन्होंने विरोध किया है चार आने पैसे दिखाकर, श्रीमन्, मैं तो चार आने को बहुत ही महत्व देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शक है कि यह चार आने पैसा किसान का बहुत बड़ा नुक़सान कर सकता है। जिस तरह से किसानों को अपनी खतौनी और खसरा की नक़ल लेने के लिये वैसे दो चार आने देकर नकल ले सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सारे सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि दो-चार आने की जगह किसानों को ५०–५० रुपये देने पड़ते हैं तो मुझे यही डर है कि यह जो नियमों में तय किया जा रहा है तो जिस दिन किसान खतौनी की नक़ल लेने जायगा उस समय क्लर्क टाल मटोल करेंगे और किसान अपनी जरूरत समझेगा और अधिक से अधिक पैसा उससे ले सकते हैं और इसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यह चार आने पैसा चार आना ही नहीं रहेगा बल्कि बहुत ज्यादा पैसा किसान से लिया जा सकता है।

माननीय शिवनारायण जी के लिये मैं क्या कहूं। एक किस्सा मैं बतलाता हूं। एक सेठ जी थे उन्होंने एक तोता पाल रखा था और उसे यही रटाया था और वह कहा करता था कि "मेरा मालिक नेक बहुत, देता मुझको दूध बहुत" वैसे उसको दूध वग़ैरह कुछ नहीं देता था, लोग समझते थे कि इसका मालिक काफी दूध देता है। इसी तरह से शिवनारायण जी की हालत है। वह रटा करते हैं और माननीय मंत्रियों और सरकार को बधाई देते हैं। यही मुझे दुख है कि इसमें चार आने पैसे आयेंगे गरीबों के घर से जिनको खाना नहीं मिलता है, परेशान रहते हैं, वह बराबर लूटे जायंगे, परेशान किये जायंगे। जिस तरह से लेखपाल और पटवारी खतौनी वग़ैरह की नक़ल नहीं देते हैं और ५०–५० रुपये किसानों से ले लेते हैं, उसी तरह से वह परेशान किये जायंगे। इसलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको मान लें तो गन्ना उत्पादकों का बहुत ही भला होगा।

श्री फूलसिंह—श्रीमन्, जो बहस इस संशोधन के पक्ष में हुई है, उससे तो ऐसा मालूम होता है कि बड़ा भारी भला किसानों का होने जा रहा है और करोड़ों रुपये जैसे कि लोगों को शिकायत है, वह छीन कर किसानों को दिलाने वाले हैं, मगर देखा जाय कि इसका उपयोग क्या है, तो इस बात का अन्दाजा लग सकता है कि प्रान्त में कितने किसान हैं, जो ऐसी अर्जियां देते होंगे या नकल लेते होंगे। पश्चिमी जिलों में तो केवल दो मिलें हैं जिनमें थोड़े से ऐसे किसान हैं, जो डायरेक्ट गन्ना देते हैं तो इस संशोधन का कोई उपयोग नहीं है। इसलिये इस पर इतना लगाना आवश्यक नहीं है और यह अनावश्यक सी चीज है। हां, यदि कोई ऐसी चीज रखी जाय जिससे वाकई में किसानों का भला होने वाला हो तो वह मंजूर की जा सकती है। एक सेंटर पर दो तीन लाख किसान होते हैं। यदि मुफ्त में दी जाय तो आप जान सकते हैं कि कितने आदमी इकट्ठा हो जायेंगे और मिल मालिकों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इससे कोई फायदा नहीं है और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २७ की पंक्ति १ और २ में शब्द "प्रार्थना-पत्र" और शब्द "प्राप्त होने" के बीच का शब्द निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम २८

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि नियम २८ की पंक्ति २ में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "६ वर्ष" रख दिया जाय--

श्रीमन्, नियम २८ इस प्रकार है--

"फैक्टरी के अध्यासी द्वारा उत्पादकों का रजिस्टर उस पेराई के मौसम के २ वर्ष पश्चात् तक जिस वर्ष का वह रजिस्टर है सुरक्षित रखा जायगा।"

श्रीमन्, यह मेरा सीधा सादा संशोधन है और जो नियम में यह दिया हुआ है कि जो केन ग्रोअर्स का रजिस्टर होगा उसको दो साल तक मिल मालिक सुरक्षित रखेगा, और यह उसके लिये जरूरी होगा। लेकिन दो साल के बाद उसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, वह चाहे उसे रखे या न रखे। जो मन में आये उसका कर डाले। तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रजिस्टर के लिये यह जरूरी हो कि वह ६ साल तक सुरक्षित रखा जाय और इसलिये रखा जाय कि बहुत सी मिलें तो ३-३ साल तक दाम ही नहीं देतीं। यह ठीक है कि दाम का उससे ज्यादा सम्बन्ध नहीं है क्योंकि दाम के लिये जो पर्ची बंटती है उसका अलग एकाउन्ट बनता है, लेकिन एक रेकार्ड के तौर पर यह ६ वर्ष रखना चाहिये कि किस फैक्टरी ने कितनी परताल की और उसके मुताबिक सही गन्ना गिरा या नहीं गिरा और किसान के यहां वह रहा या नहीं रहा। तो इसका रेकार्ड ठीक से रहना चाहिये और इससे हर एक मिल की वर्किंग अच्छी होती चली जायगी। बहुत से प्लानिंग के कामों में, तरक्की के कामों में इससे बहुत मदद मिल सकेगी और एक रेकार्ड ६ साल तक रिजर्व रह सकेगा। अगर सरकार को किसी वक्त किसी आंकड़े की जरूरत पड़ती है कि कितना और किस किस्म का गन्ना उस क्षेत्र में बोया गया, कितनी पैदावार हुई, कितनी खूंटी रही। तो इनके रहने से यह सारे आंकड़े ६ साल तक मिल सकते हैं। अगर यह इसी तरह रहा तो मिल मालिक कह सकते हैं कि आपने तो दो साल के लिये कहा था हमने दो साल तक रखा और उसके बाद हमने उसको जला डाला या उसका कुछ और कर डाला। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि दो साल का समय बहुत कम है और इसको सरकार को कम से कम ६ साल के लिये कर देना चाहिये ताकि आंकड़े प्राप्त करने में सरकार को सुविधा हो और सरकार यह भी जानकारी हासिल कर सके कि मिल के रजिस्टर में और सोसाइटी के रजिस्टर में क्या फर्क है? क्या गल्तियां होती है? जितना रजिस्टर में दर्ज है उतना सप्लाई हुआ या नहीं? रजिस्टर रखने से यह सब साफ हो जायगा। तो इसलिये मैं चाहता हूं कि ६ साल के लिये रेकार्ड रिजर्व रखे जायं। इससे जनता को और सरकार को दोनों को फायदा होगा।

श्री रामसुभग वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मल्ल जी ने संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन बहुत सीधा-साधा है और इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। दो वर्ष के समय को ६ वर्ष के लिये सिर्फ बढ़ा देना है। अगर वह रेकार्ड ६ वर्ष तक रखते हैं तो उससे मिल के मालिक को भी फायदा होगा। उससे उसको याद रहेगा कि ६ वर्ष पहले गन्ना उत्पादक कितना गन्ना उपजाया करते थे और आज कितना गन्ना बोया जाता है और कितना पैदा होता है। इससे गन्ना उत्पादकों को भी सुविधा होगी।

दूसरी एक चीज जो माननीय मल्ल जी ने बतायी वह यह कि गन्ना बोने वाले सदस्य अपने यहां तो कोई रेकार्ड रखते नहीं हैं और अगर वह कोई रेकार्ड चाहेंगे तो उनको ४ आना पैसा देकर मिलेगा। इस तरीक़े से हमारे यहां बहुत सी मिलें हैं जिनका हम लोगों को अनुभव है कि कितने ही वर्षों का पैसा उन लोगों के

पास बाक़ी रह जाता है। वह रजिस्टर में दर्ज नहीं है और रजिस्टर मिलता नहीं है इसलिये उनका पैसा लुप्त हो जाता है। वह बार-बार मांगने के लिये जाते हैं मगर उनको मिलता नहीं है। ऐसी परेशानी होती है। अगर उनके पास रेकार्ड रहता है उससे किसानों का भी फायदा है और मिलमालिकों का भी फायदा है। इससे काफी सुविधा हो जाती है। गन्ना उत्पादकों को पता चलता रहता है कि ६ वर्ष के अन्दर हमने देहात में कितना गन्ना उत्पन्न किया और कितनी कमी हुई। इसलिये ६ वर्ष का रेकार्ड रखना कोई ऐसी बात नहीं है, और इसको माननीय मंत्री जी को मान लेना चाहिये।

श्री शिवनारायण---श्रीमन्, दो वर्ष का समय बहुत काफी जंचता है। अगर दो साल का बता कर उसमें लिख दिया जाय तो यह काफी है। उसको मालूम हो जायगा कि जितना उस रिकार्ड में लिखा हुआ है उतना उसका गन्ना था। इस तरह से तोते की तरह रटना ठीक नहीं मालूम होता है। मगर कुछ पक्षी होते हैं जिनको दिन में दिखाई नहीं देता। ऐसे माननीय सदस्य को यह समझना चाहिये कि यहां पर यह दो वर्ष काफी है। यदि यहां पर ६ वर्ष रख दिया जायगा तो ६ वर्ष के अन्दर तो दीमक ही उसको चौपट कर देंगी और पता भी नहीं चलेगा कि कागज कहां गये और उसमें व्यर्थ का पैसा भी व्यय होगा। यहां पर जो यह कहा जाता है कि मिल मालिक की एजेन्टी करते हैं यह बिल्कुल ग़लत है। हम तो यहां पर किसानों की एजेन्टी करते हैं। आज का किसान बहुत जागृत अवस्था में है। आज किसान चौराहे पर खड़ा होकर हमसे पूछता है कि हमने उसके लिये बजट के अन्दर क्या किया है? आज किसान चाहता है कि उसको पढ़ाया जाय। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी "गो टु दि मासेज और ट्रेन दि मासेज" किसान को इतना ज्ञान आप करायें कि वह पटवारी, कामदार, और सुपरवाइजर के कागजात को चेक कर सके। तभी हमारे देश में डेमोक्रेसी फूल और फल सकती है और किसान की अवस्था अच्छी हो सकती है। आज किसानों के लिये उन्नति का समय आ रहा है। उसको दबाने वाला जमाना चला गया। आज वह जानना चाहता है कि हम लोग यहां पर उनके लिये क्या कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और २ वर्ष ठीक है और ६ वर्ष बेकार है।

***श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)---श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन तो इतनी बहस का नहीं था लेकिन माननीय स्पोकमैन ने जो भाषण दिया उससे मैंने भी चाहा कि उनका जो भ्रम है उसको दूर करने का प्रयास करूं। यहां पर कई प्रश्न ऐसे किये गये और सरकार की तरफ से जो जवाब मिला उससे मालूम हुआ कि दो साल से भी अधिक समय हो गया, लेकिन मिल मालिकों ने सेस नहीं दिया और गन्ना उत्पादकों को रुपया नहीं दिया। अगर दो साल से अधिक का समय ६ साल बहुत ज्यादा है तो माननीय मंत्री जी ३ साल कर सकते हैं, ४ साल कर सकते हैं और इसको ५ साल बढ़ा सकते हैं। लेकिन दो साल से ज्यादा होना चाहिये, क्योंकि यहां पर उत्तर मिलते रहते हैं जिनसे ऐसा मालूम होता है कि दो साल से भी अधिक मिलमालिक जो है वह गन्ना उत्पादकों का रुपया नहीं दे पाते हैं। सही बात यह है, लेकिन कहां गड़बड़ है, यह तो किसी की समझ में नहीं आती है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि माननीय मित्र का भाषण सुनकर मुझे एक बात याद आ गयी। एक आदमी के पास एक बहुत अच्छा तोता था। उसको केवल तीन शब्द सिखाये गये थे। यस सर, नो सर, वेरी वैल सर। उसका मालिक उसको बाजार में ले गया। वहां उसके मालिक से उसका दाम पूछा गया तो ५०० रुपया बताया। और कहा कि अगर चाहो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]
तो आप तोते से पूछ सकते हो। उसने तोते से पूछा कि क्या तुम्हारा दाम ५०० रुपया है। उसने कहा--यस सर। फिर उसने कहा कि क्या तुम मेरे साथ से कहीं चले तो नहीं नहीं जाओगे। उसने कहा--नो सर। फिर उससे कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। उसने जवाब दिया--वैरी वैल सर। तो इस टाइप के लोग भी होते हैं जो केवल यस मैन होते हैं। वे और कुछ समझते नहीं केवल "यस" करना जानते हैं, या जो उनसे कह दिया जाता है वही कहते हैं। लेकिन इस सदन में तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी दो वर्ष के स्थान पर ६ वर्ष कर देंगे। अगर सरकार यह समझती है कि गन्ने के मालिक को मिल मालिक से २ साल में रुपया मिल जाना चाहिये तो सरकार को उस दो साल के टाइम में ही रुपया दिला देना चाहिये। यह सरकार की ड्यूटी है। यदि ऐसा सरकार नहीं समझती तो उसको उसका समय बढ़ा देना चाहिये।

श्री फूलसिंह--अध्यक्ष महोदय, अब इस धारा को और इसके साथ उद्देश्य और कारणों को देखा जाय तो यह मालूम होगा कि इस रजिस्टर में इस बात की कोई चर्चा नहीं होती कि कितना गन्ना मिल में आया और कितना पैसा दिया गया और कितना पैसा लोगों का बाकी है और कितना वाजिब था। इसलिये गन्ने के दाम से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी यह बात कि जब सन् ३८ में यह कानून पहले पहल बना तभी से इसमें दो साल का समय रक्खा हुआ है। तो अब इस समय के बढ़ाये जाने के पक्ष में जितने भी भाषण हुए उसमें मुझे इस बात की कोई दलील न मिली कि यह २ साल का समय क्यों बढ़ा दिया जाय। जब इस रजिस्टर का किसानों के दामों से कोई ताल्लुक ही नहीं है फिर केवल इस वजह से कि कहीं ३ रक्खा गया है तो उसके बजाय ४ रख दिया जाय और कहीं रक्खा ४ हुआ है तो उसके बजाय ६ रख दिया जाय और कहीं ६ रक्खा हुआ है तो उसके बजाय १२ कर दिया जाय। अब सवाल यह है कि उससे फायदा क्या होगा। यह ठीक है कि पुरानी चीज कभी कभी काम आ जाती है, लेकिन इस रजिस्टर के रखने से हम उस उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पायेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैंने अपने शुरू के भाषण में ही यह साफ कर दिया था जो शायद माननीय मंत्री जी ने ध्यान से नहीं सुना, कि जो मेरा संशोधन है और यह जो रजिस्टर है उसका इस गन्ने के दाम से कोई संबंध नहीं है। मेरा कहना यह था कि अगर रेकार्ड प्रीजर्व रहेगा तो ६ साल का रिकार्ड मिलाने से यह पता चल सकेगा कि पड़ताल जो होती है वह गलत होती है या सही होती है, और मिल वाले सही रूप से नियमों की जो मंशा है उसी प्रकार से करते हैं या नहीं। खाली दो साल के रिकार्ड से ऐसा करना संभव नहीं है। दरअसल केन के दामों से इसका कोई संबंध नहीं है।

दूसरी चीज जो माननीय शिवनारायण जी ने कह दी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ श्रीमन्, यह सुनकर कि ६ साल रेकार्ड रहेगा तो दीमक चाट जायगी। उनको सरकारी बेंच का बेंचर कहा जाता है और कहा जाता है कि राजकाज को चलाने वाले जो मंत्री हैं उनकी बगल बैंक में बैठते हैं और यह भी सुना जाता है कि आपको सिखाया भी जाता है। लेकिन मैं आपके लिये तोता वाला किस्सा कहने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मनुष्य और तोते में फर्क होता है। तोता जो होता है उसमें बुद्धि बिलकुल नहीं होती है उसको जो सिखलाया जाता है वही वह कहता है। आपको तोता तो नहीं कहूंगा लेकिन एक दूसरा खिताब आपको दिया जा सकता है। मनुष्य की श्रेणी में रहते हुये भी एक प्रकार का प्राणी कहा जाता है जिसका नाम लेना इस सदन में मैं उचित नहीं समझता। मेरे माननीय मित्र खुद उसका मतलब लगा लेंगे। जो बुद्धि रहते हुये भी बेबुद्धि की बात कहता है, यह माननीय सदन खुद ही उसका मतलब लगा लेगा।

रहा यह कि जो मैं कह रहा था कि रेकार्ड तो २० साल तक गवर्नमेंट रखती है। तो जब गवर्नमेंट बीस साल तक रेकार्ड रख सकती है तो क्या एक मिलमालिक ६ वर्ष तक भी अपना रेकार्ड नहीं रख सकता है ? अगर नहीं रख सकता, तो वह मिल मालक उस मिल को चलाने का हकदार नहीं है। उससे वह मिल छीन लेनी चाहिये जो ६ वर्ष तक अपना रेकार्ड रख नहीं सके और उसे दीमक चाट जाय। इस तरह की दलीलें देकर और कहना कि हम किसानों के हक में कह रहे हैं, यह कहना कि नहीं चार आने किसान दिया करें, मैं उचित नहीं समझता। बस्ती, जिला देवरिया से बहुत एडवांस है, उनके कहने के अनुसार मैं इसको मान लेता हूं। अगर इस तरह का कोई नियम बन सके तो वह उन्हीं के जिले में लगा दिया जाय लेकिन हमारे देवरिया जिले में बिलकुल नहीं। मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारा देवरिया जिला बिलकुल दरिद्र है, इसीलिये श्रीमन् मैं कहता हूं कि हमारे जिले में कोई ऐसा नियम व कानून न लागू किया जाय। बस्ती जिला चूंकि एडवांस है वहां तो यह लागू हो जाय लेकिन हमारे जिले को बख्श दिया जाय यह मेरा अपना ऐसा ख्याल है, इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरे इस संशोधन को मान लिया जाय। लेकिन अगर सरकार हठधर्मी पर ही तुली हुई है कि अगर किसी चीज को मानने के लिये कहा जाता है और वह कह देती है कि यह फजूल है, वह फजूल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर उसके लिये कहा ही क्या जा सकता है ? हम लोग समझते हैं कि बीस साल तक का रेकार्ड भी रखा जा सकता है। जो कुछ भी गड़बड़ी और दिक्कतें शुगर मिल वाले करते हैं उसको ध्यान में रखते हुये हम लोगों ने जो कुछ भी संशोधन दिया है वह इसलिये दिया है ताकि माननीय मंत्री जी इसको मान जायं। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी उसको न मानें या शायद वे नहीं समझ पाते हो तो यह तो हमारा दोष नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस किस्म के संशोधन को जिसमें कोई वैसा मिलों पर बर्डेन नहीं होता, एक तरह से रेकार्ड प्रिजर्व होते हैं ताकि किसी समय पता लगाया जा सके कि मिल वालों ने जो पड़ताल की है आज तक वह सही की है या नहीं की है। इससे मालूम हो सकेगा कि कहां कितना गन्ना है, कहां किसने कितना गन्ना पेरा है, इस तरह से यह एक अच्छा खासा रेकार्ड रहेगा। श्रीमन्, सरकार जब चाहे तब यह जानकारी हासिल कर सकेगी कि इस मिल ने ठीक पड़ताल की है या नहीं। ठीक ठीक किसानों का ईख लिखा गया है या नहीं ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जगह बैठे-बैठे ही यह सब लिख लिया गया है ? तो इन सारी चीजों की जानकारी इससे हो जायगी और सारा रेकार्ड ठीक हो जायगा। इसलिये मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को कबूल कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम २८ की पंक्ति २ में "दो वर्ष" के स्थान पर "६ वर्ष" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम ३७

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि नियम ३७ में "दस मन" की जगह पर "बीस मन" रख दिया जाय।

यह एक टेक्निकल डिफीकल्टी होती है। जो यह नियम है कि जहां पर कांटा होता है वहां पर दस मन का स्टैंडर्ड वेट रहना चाहिये ताकि तोल की जांच उससे की जा सके। मैं यह २० मन का स्टैन्डर्ड वेट वहां रहने की बात इसलिये कह रहा हूं कि वहां जो गाड़ी गन्ने की आती है उनमें से कोई गाड़ी अमूमन २० मन से कम वजन की नहीं आती है और स्केल में जो चालबाजी मिल मालिक करते हैं वह यह होती है कि दस मन तक तो वजन अगर देखा जाय तो ठीक आयेगा लेकिन २० मन में वही कांटा दूसरा हिसाब देगा और गाड़ियां अधिकतर २०–२५ ३० मन की ही औसतन होती हैं। इस तरह से २० मन रखने में केन के चेकिंग में भी आसानी रहेगी, अगर दस मन रहेगा तो दस मन की कोई गाड़ी नहीं आती, हमें इसलिये वह वजन रखने चाहिये ताकि वजन चेक करने वाले इन्स्पैक्टर आवें तो उनको आसानी रहे और अगर उस

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

चालबाजी को पकड़ना होगा कि दस मन पर तो कांटा ठीक चले और ज्यादा वजन में गलत तो २० मन के वजन रखने से उसके पकड़ने में आसानी होगी। इसलिये तौल पर ज्यादा वजन रखने में ही सहूलियत होगी और मिल मालिक पर भी इससे कोई खराब असर नहीं पड़ेगा उसे दस मन और खरीदने में कोई दिक्कत न होगी। अगर माननीय मंत्री जी इन्सपेक्टर साहबान की रिपोर्ट्स को देखें तो उन को जानकारी होगी कि दस मन तक तो वजन ठीक आते हैं लेकिन ऊपर गलत आते हैं, यह हिकमत कांटें में वह लोग किये रहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि २० मन रखने से इस तरह की जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है वह दूर हो जायगी और कांटा ठीक रहने की संभावना हो सकती है, चेक करने में भी सहूलियत हो जाती है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन इसे स्वीकार करे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने यह स्वयं स्वीकार किया कि अगर दस मन एक बार तोला जायगा तो ठीक तरह से तोल हो सकेगी, लेकिन २० मन तोला जायगा तो गड़बड़ होने की संभावना है। इस नियम में रखा गया है कि दस मन के एग्रीगेट वजन सबको रखने होंगे, इसके माने हैं कि कम से कम एक बार में दस मन तौला जा सकता है और सहूलियत भी इसी तरह से रहेगी कि २० या ३० मन की गाड़ी आये तो दस-दस मन कर के तौल कर देख लिया जाय, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हो सकती और तोल की भी जांच हो सकती है कि गन्ने का वजन ठीक है या नहीं लेकिन अगर २० मन उससे अधिक का वजन एक साथ किया गया तो जैसा कि मल्ल साहब चाहते हैं तो वह उनकी मन्शा के खिलाफ ही बात होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से नियम में है वही माकूल चीज है और उन संशोधन से मतलब हल नहीं होता बल्कि उससे नुक्सान की ही संभावना है।

***श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फर नगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नियम गन्ने के संबंध में है, उनके विषय में मेरा भी कुछ अनुभव है और जो त्रुटियां मैंने देखी हैं उनके संबंध में मैं कुछ अपने विचार भी प्रकट करना चाहता हूं। मैं इस संशोधन पर ही बोल रहा हूं। जिस समय गन्ने की तौल होती है मैंने देखा है एक वर्ष पहले और अब भी जहां गन्ने के सेंटर हैं वहां पर प्रायः यह किया जाता है कि वहां एक मन से दस मन तक के बाट किसानों की रक्षा के लिये रखे जाते हैं और काफी प्रबन्ध रहता है। लेकिन मिस्त्रियों की कुछ ऐसी चालाकियां प्रायः देखी जाती हैं कि ४० मन से जब ऊपर हो जाता है तो उतना ही वेट कम होने लगता है मतलब यह है कि अगर एक मन होगा तो वह सवा मन, डेढ़ मन तक लिखते चले जायेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का प्रबन्ध किया जाय जिससे ४० मन तक या इससे ऊपर का भी प्रबन्ध हो जाय। ऐसे बांटों को वहां रखा जाय जिससे यह बेईमानी न हो सके। मेरा अनुभव है कि शामली शुगर फैक्ट्री का एक मिस्त्री था, उसकी एक चालाकी मैं यहां रखना चाहता हूं। वह प्रायः बड़ी तोलों में इस तरह किया करता था। तो इस तरह की चालाकियाँ होती रहती हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि यदि कोई चेकिंग हो सके और इसको रोका जा सके तो इसके लिये प्रयत्न किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं जगन्नाथ मल्ल जी के संशोधन का कि १० मन के बदले में २० मन रख दिया जाय समर्थन करता हूं। श्रीमन्, काटजू साहब ने इस संशोधन का बहुत सख्त विरोध किया है; इसमें उनका दोष कम है। जो अदबी कांटों के पास नहीं गया जहां तौलाई होती है, वह तो इस तरह से मल्ल जी के संशोधन का विरोध करेगा ही और इसीलिये काटजू साहब इनके संशोधन को उलटने लगे। मल्ल जी का संशोधन कहता है कि जो कांटे होते हैं वहां तौलने में कांटों का मालिक गड़गड़ करता है। कोई निरीक्षक अचानक पहुंचे तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह कांटों का निरीक्षण कर सके। हमें श्रीमन्, मल्ल जी की अपेक्षा बहुत कम जानकारी है और हमसे कम जानकारी काटजू साहब को है। श्रीमन् यह मांग कोई ऐसी नहीं है। जिससे मिलमालिक का दीवाला निकलता हो। यह बड़ी सरल सी मांग है। कोई निरीक्षक ठीक से निरीक्षण कर सके कि जो तुलाई होती है वह ठीक है या नहीं इसी के पूर्ति के लिये जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री फूलसिंह—श्रीमन्, यह बात तो सही है कि कांटों की तुलाई में बहुत गड़बड़ होती है। प्रश्न केवल यह है कि उसका इलाज क्या किया जाय ? १० मन के स्थान पर २० मन रख देने से तो पूरा इलाज संभव नजर नहीं आता। गन्ना तौलने के लिये वे ब्रिजेज हैं उन वे ब्रिजेज पर गाड़ियां लाकर खड़ी कर दी जाती हैं। एक मर्तबा भरी हुई और एक मर्तबा खाली और दोनों के वजन का अन्तर गन्ने का वजन मान लिया जाता है। कांटों में भी गड़बड़ी कर दी जाती है, थोड़ा तौलने पर कांटा ठीक तौलता है और ज्यादा पर तौल गलत हो जाती है, तो उसके लिये १० मन के स्थान पर २० मन का बट्टा रखना आवश्यक नहीं है। १० मन से २० मन की भी तौल आसानी से हो सकती है। एक बांट से काम नहीं चले तो १०,१० मन के दो बांटों को रख दिया जाय। प्वाइन्ट तो यह है कि २० मन का बट्टा रखने से कोई खास लाभ हो सकेगा या नहीं। इस चीज में मेरी भी दिलचस्पी है कि कोई रास्ता ऐसा निकले जिससे तुलाई ठीक हो। क्या इलाज हो वह मेरी समझ में नहीं आता। एक दिलचस्प घटना माननीय सदस्यों के सामने रखूं जब यह रूल बन रहे थे तो मैंने यह कहा कि यह कांटा तो केन सोसाइटी का होना चाहिये, तो एक सदस्य ने जो एक मिल के मालिक थे कहा तो बस फिर जो सोसाइटी का कर्मचारी हुआ करेगा उसको कुछ देना पड़ेगा। दरअसल तो कसूर बट्टों से तय होने वाला नहीं है न वे ब्रिजेज से तै होने वाला है। यह तो व्यक्तियों से सुधरने वाली चीज है। व्यक्ति कैसा हो वह है मुकद्दम बात। उसका कुछ इलाज समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस संशोधन से उसका मंशा पूरा नहीं होता, इसलिये इस संशोधन को मान लेने में असमर्थ हूं। हां, इस चीज पर गौर करने से कोई और बात निकलेगी तो निकालने की कोशिश की जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, जहां तक काटजू साहब के विरोध का सवाल है रामसुन्दर पांडेय जी ने काफी साफ कर दिया और अगर काटजू साहब हमारी उस बात को समझ लिये होते तो शायद वे विरोध न करते। उनके समझने में फर्क हो गया, इसलिये कि इलाहाबाद में गन्ना होता नहीं। पहले एक मिल थी झूसी में वह भी खत्म हो गई। इसलिये काटजू साहब को उसकी तजुर्बा नहीं है। श्रीमन् माननीय मंत्री जी को भी भ्रम है कि १० मन का ही तौल रक्खा जाता है। अगर १० मन का तौल रक्खा जायगा तो उसको कांटे में रखने में कितने आदमी लगेंगे और कितनी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं होता है। एक एक मन के १० मने कांटे पर रक्खे जाते हैं। यह मेरा तजुर्बा है क्योंकि हर मिल में घूम-घूम कर देखा है और हर कांटे को देखा है। एक एक मन की १० ममहा रक्खा जाता है और श्रीमन् मुझे यह भी सौभाग्य है कि १० वर्ष तक शुगर फैक्ट्रीज में काम करके मिलमालिकों की हरकतों से भी वाकिफ हूं।

एक सदस्य—मिलों में हिस्सा भी तो है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—उन्हीं मिलों में यूनियन भी बना रक्खी है। यह जो १० मनहा रक्खा जाता है उससे कोई ईख नहीं तौली जाती है। जो वेब्रिज होता है उसकी जांच के लिये यह १० मनहा रक्खा जाता है। जब इन्स्पैक्टर जाता है तो उसकी यह जांच करता है कि यह ठीक तौल रहा है या नहीं। लिहाजा वह १० मनहा को चढ़ा कर स्केल पर तौल लेते हैं कि यह १० मन तौल रहा है, या ज्यादा या कम तौल रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय काटजू साहब का अब भ्रम दूर हो गया होगा।

बीस मन क्यों कह रहा हूं उसका भी कारण है, और वह यह कि अमूमन जो गाड़ियां होती १० में १० मन से एवरेज में आती हैं। इसलिये कम से कम १० मन रक्खा कि १० और

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

३० मन के बीच में कोई गड़बड़ नहीं होने पायेगी। अभी मैंने पहले भाषण में निवेदन किया था कि मिल मालिक ऐसा भी प्रबन्ध कर लेते हैं कि कांटा १० मन पर ठीक तौलेगा और जैसा कि माननीय श्रीचन्द्र जी ने कहा ऊपर गड़बड़ हो जाती है। उनको तजुर्बा है। ऐसे इलाके से वे आये हैं जहां गन्ना पैदा होता है। नीचे तो ठीक तौलेगा लेकिन ऊपर जाते-जाते गड़बड़ हो जायगी। लिहाजा २० मन रख कर देख लिया जाय कि स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से यह २० मन तक ठीक तौलता है या नहीं। अगर फिर भी गड़बड़ करेंगे तो ज्यादा किसानों का नुकसान नहीं होने पायेगा। इसलिये यह संशोधन बिल्कुल साफ है। माननीय मंत्री जी ने भी कबूल किया कि गड़बड़ियां होती हैं, इस पर वह ध्यान देंगे और ध्यान देकर इसका कुछ प्रबन्ध करेंगे। तो अगर माननीय मंत्री जी हाउस में न मंजूर करना चाहते हों। अगर बाद में इस पर ध्यान दे करके करना चाहते हों तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि वह ऐसा वजन रखें। हम यह नहीं जिद करते कि वह हाउस ही में इसको मंजूर कर लें। हाउस में मंजूर करने में शायद मंत्रिगण की बेइज्जती हो जाती हो। अगर कोई संशोधन अच्छा हो और उसको भी मंजूर करने में माननीय मंत्री अपनी बेइज्जती समझते हों तो मैं उसके लिये कोई जिद नहीं करता। मैं चाहता हूं कि मेरी जो भावना है, दस दिन के बाद ही हम सबकी मेज पर यह रख दें कि दस के बजाय बीस कर दिया है। इससे मिल मालिकों पर कोई बोझा नहीं पड़ता। यह जो मनहा होते हैं ज्यादा दामों के नहीं मिलते। इस तरह से सबके लिये सहूलियत हो जायगी। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि हमारे संशोधन पर गौर करें और जिस तरह से भी हो यह जो तौल की बात कही गयी है या कांटे के दुरुस्त करने की बात कही गयी है, बीस मन वाला संशोधन मान लिया जाय। इस तरह से इसमें जो खामी रह जाती है वह दूर हो जायगी और इससे किसानों के गन्ने की ठीक-ठीक तौल हो सकेगी, कोई कमी नहीं हो सकेगी और ज्यादा सम्भावना उनको नुसकान उठाने की नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ३७ में "दस मन" की जगह पर "बीस मन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम ३८

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ३८ की पंक्ति २ में "प्रतिदिन" के बाद "प्रातःकाल तौल शुरू होने के पहले", रख दिया जाय।

श्रीमन् नियम ३८ इस प्रकार है—"फैक्टरी का अध्यासी अथवा खरीदारी एजेंट गन्ना खरीदने में प्रयुक्त रखे गये अथवा कब्जे में रहने वाले समस्त वे ब्रिजों की प्रतिदिन परीक्षा करायेगा और ऐसी परीक्षा का अभिलेख रखेगा जो मांगे जाने पर निरीक्षक को दिखलाया जायगा।"

यह नियम तो बन जाता है, लेकिन श्रीमन् वह कभी परीक्षा वगैरह नहीं करते। वह रेकार्ड में भर लेते हैं कि हमने रोज इस कांटे की परीक्षा की। वह अपने कागज में लिख देते हैं। अगर उन पर पाबन्दी लगा दी जायगी कि कांटे पर जब तौल शुरू होने लगे तो उसी वक्त आप इसका निरीक्षण कर लेंगे तो एक सुविधा हो जायगी। एक तरह से उन पर कम्पल्शन होगा कि जब वह तौल शुरू करने लगें तो वह जरूर उस कांटे की परीक्षा ले लें। उसके ऊपर स्टैन्डर्ड बेट रख कर देख लें कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं आयी है। अब माननीय मंत्री जी एक चीज और कह सकते हैं कि जहां पर कंटिनुअस तौल होती है वहां पर तौल शुरू करने से पहले क्या होगा। हर फैक्ट्री में, श्रीमन्, कायदा है कि हर रोज वह एक घंटे के लिए सारी फैक्ट्री बन्द करते हैं और इसलिए बन्द करते हैं कि जो मिलिंग प्लान्ट है उसकी अच्छी तरह से सफाई

कर दी जाय। उस पर स्टीमिंग कर दी जाय ताकि जर्म्स न पैदा हों जिससे गन्ने के रस फरमेंट हो सकें। उसका सुक्रोज दूसरे तत्वों में न बदल जाय। इसलिए रोज एक घंटे मिल वाले अपनी मिल बन्द करते हैं सफाई के लिए। तो जिस वक्त वह मिल बन्द करते हैं उस वक्त जांच कर लें या जहां पर और कांटे हैं वहां पर वह लोग सबेरे तौल शुरू करते हैं और शाम तक तौल करते हैं। तो वहां पर जब तौल करने लगेंगे तब भी वे कांटे को चेक कर ले। तो मैं नहीं समझता, सरकार चाहती है कि चेक हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तौल शुरू होने के पहले ही उसे चेक कर लें ताकि जो गलत ऐन्ट्री कर लेते हैं, जब कन्टीनुअस तौल शुरू हो जायगी तो कोई जांच नहीं कर सकता है, यह कोई मिल नहीं करती है कि फिर उस कांटे की भी जांच कर सके, सेंट परसेंट मिलें मैं जानता हूं कहीं इसकी जांच नहीं करते हैं, शायद एक आध मिल करती हों। तो अगर इस तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया जायगा कि तौल शुरू होने के पहले तो ठीक होगा, क्योंकि कोई भी काश्तकार कह सकेगा कि पहले तुम इसको जांच लो तब हम तुमको गन्ना देंगे क्योंकि ऐसा नियम में लिखा हुआ है, जब गन्ने की तौल करने तुम जाओ तो कांटे को जांच लो। तो कोई भी किसान तौल शुरू होने के पहले कह सकता है कि देखो जब कानून है, जब तुम तौल शुरू करने जाओ सबेरे तो तुम पहले अपने कांटे की जांच कर लो। तो इस तरह से काश्तकार जांच की मांग कर सकता है। ऐसे अगर वे मांग करेगा तो कहेंगे कि ऐसा कोई कायदा नहीं है, हम शाम को जांच करेंगे। तो तौल के पहले जांच होना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि यह तौल में दूसरी गड़बड़ी होती है, पहली गड़बड़ी तो मानी नहीं गई।

अब यह दूसरी जो गड़बड़ी होती है, जांच नहीं होती है और जो सरकार की मंशा है कि जांच होनी चाहिये तो मैं चाहता हूं कि सबेरे तौल शुरू होने के पहले जांच कर लें नहीं तो फिर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि फिर जो कन्टीनुअस तौल शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर जांच करेंगे तो कम से कम दो घंटे लगेंगे और जब क्रशिंग शुरू हो जाती है तो फिर तौल रोकी नहीं जा सकती। इसलिये श्रीमन्, जहां कांटे हैं आउट स्टेशन पर वहां तो सबेरे कर सकते हैं, लेकिन जहां पर कन्टीनुअस तौल हो रही है, मिल के गेट पर, वहां पर हर रोज एक घंटे के लिये मिल बन्द करते हैं। तो उस वक्त जांच कर लें और सबको सहूलियत हो और कांटा भी खराब न रहे और सरकार की मंशा की भी पूर्ति हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को जरूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसमें जो उन्होंने बताया है, अपने नियम में है कि उसकी रोज जांच होनी चाहिये, उसकी भी पूर्ति होती है और उनकी मंशा भी पूरी होती है और लाजिमी तौर से रोज कांटे की जांच हो जायगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करें।

श्री शिवनाथ काटजू—श्रीमन् मैं फिर इस संशोधन का विरोध करता हूं, लेकिन विरोध में ज्यादा जोरदार शब्दों में नहीं कहूंगा क्योंकि सम्भव है कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें। लेकिन मैं जो विरोध कर रहा हूं उसका कुछ कारण है। मेरे मित्र ने जो संशोधन रखा है उसका आशय यही है कि शुरू ही में परीक्षा हो जाय क्योंकि जब काम शुरू होता है तो मुनासिब यह होगा कि उसके पहले ही परीक्षा हो जाय और यही शब्द उन्होंने नियम में बढ़ाने के लिये रखे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर परीक्षक ही ठीक नहीं है और उसमें कमजोरियां हैं तो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो उसका नतीजा एक ही निकलता है और जैसा मेरे माननीय मित्र ने कहा कि अगर वे सिर्फ कागजी कार्यवाही करने आते हैं तो पहले हो या बाद में हो बात एक ही हुई। लेकिन अगर परीक्षक ठीक है और जैसा कि हम समझते हैं ठीक होंगे, तो हम इस नियम में बन्धन लगा देंगे कि सुबह ही प्रातःकाल वह परीक्षा करे तो वह भी कुछ ज्यादा मुनासिब

[श्री शिवनाथ काटजू]

नहीं होगा। परीक्षा के लिये यह भी उचित है कि एक सरप्राइज विजिट हो। उससे आपका हित होगा और किसान का फायदा होगा। इससे यह होगा कि मिल-मालिक को यह डर रहेगा कि मालूम नहीं किस वक्त परीक्षक आ जाय और जांच करे। लेकिन अगर नियम में आपने रख दिया कि प्रातःकाल हो तो बाद में भी गड़बड़ हो सकती है। तो मैं अपने माननीय मित्र से निवेदन करूंगा कि इस नियम में ज्यादा उलट फेर करने से कोई फायदा नहीं होगा।

मेरे ऊपर जाती हमला भी किया गया कि मैंने चीनी की मिल नहीं देखी, मैंने गन्ना नहीं देखा। मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं भी इसी देश का रहने वाला हूं। मैं जानता हूं तौल क्या होती है, एक मन, दो मन क्या होता है। शक्कर की मिल भी मैंने देखी है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आया हूं वहां एक शक्कर की मिल थी, लेकिन बदकिस्मती से आज बन्द है। तौल भी मैंने देखी है, गन्ना भी देखा है, खाया है, गुड़ भी खाया है। तो यह समझना कि मैं जो यहां बातें कर रहा हूं यह अनभिज्ञता से नहीं कर रहा हूं.....

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, गन्ना चूसा जाता है, "खाया" नहीं जाता है।

श्री शिवनाथ काटजू—तो इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय काटजू की इज्जत करता हूं। मैं उन पर कोई हमला नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि मैंने गन्ना खाया है, तो इसी शब्द से चरितार्थ होता है कि उन्हें गन्ने और गन्ने की प्राब्लम से ज्यादा जानकारी नहीं है। यही शब्द उनको अंग्रेज बना देता है। वह सचमुच में इस प्रदेश के.....

श्री शिवनाथ काटजू—आन परसनल एक्सप्लेनेशन। अगर एक भाषा के रूप से आप यह कहते हैं तो उसमें कोई अन्तर नहीं है। गन्ना चूसा जाय या खाया जाय, लेकिन मेरा आशय था कि मैंने गन्ना चूसा है और मैं निवेदन करूंगा कि इस साल हमारे यहां अच्छी फसल हुई है। मैंने कल ही खाया था और मैं निवेदन करता हूं कि बहुत ही मीठा था।

*श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय काटजू की दोबारा भी हिम्मत हुई कि कहें कि चूसा जाता है, लेकिन उनके मुंह से नहीं फिर "खाया" शब्द निकला। तो इससे ताईद होती है कि जो गन्ने की प्राब्लम है उससे उनका ज्यादा परिचय नहीं है जितना कि मल्ल जी का है। जैसा कि काटजू साहब ने कहा कि सचमुच अगर तोलने वाले की ईमानदारी का प्रश्न हो, तो यह ठीक बात है, लेकिन अगर प्रातःकाल उसको तौल दें और तौल हो जायेगी तो उससे लाभ होगा कि बीच में किसी को बेईमानी करने का मौका नहीं मिलेगा या तराजू को गड़बड़ करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब अंधेरे से उजाला होता है, रात से दिन निकलता है तो तराजू में भी मैं समझता हूं कि कुछ खराबियां हो सकती हैं कि रात को तौल बन्द हो जाय तो न जाने क्या गड़बड़ कर दें। इसलिए प्रारम्भ में अगर तौल ठीक हो जायगी तो उससे यह अन्दाज लग जायगा कि दिन में काम उसी प्रकार से चलेगा। इसलिए उसमें जानबूझ कर गड़बड़ी कर दें तो बात दूसरी है या फिर मशीन खराब हो जाय, लेकिन गड़बड़ी करने का मौका मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिये कि शाम को तौल हुई और उससे पता लगा कि दो सेर कम तौला गया तो किन आदमियों का तुला और वह कौन कौन हैं, इस बात का फिर रेकार्ड रखा जाय कि कौन होंगे, कौन नहीं होंगे ? तो मैं यह

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कहना चाहता हूं कि जितने काम हिन्दुस्तानी ढंग से होते हैं वह प्रातःकाल से शुरू होते हैं, इसलिए मल्ल साहब का संशोधन उचित प्रतीत होता है। वर्ना तौलने वालों की एक समस्या हो जायगी। इसलिए प्रातःकाल तराजू और तौल ठीक कर ली जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री फूलसिंह—श्रीमन्, गन्ना सम्बन्धी नियम और कानून के जन्मदाता डाक्टर काटजू साहब रहे हैं और उनसे यह ज्ञान श्री शिवनाथ काटजू को पहुंचा है। नियम का जो संशोधन भवन के सामने इस वक्त है उसको देखते हुये साधारण रूप से ऐसा लगता है कि यह संशोधन ठीक है, इसे मान लेना चाहिये। लेकिन अगर जरा गौर से देखें तो दो तीन कठिनाइयां इसमें मालूम होती हैं। एक तो इसमें लिखा है कि प्रातःकाल चेक होने चाहिये। लेकिन अगर कहीं तौल दोपहर को शुरू होने वाली है तो । चूंकि यह जरूरी नहीं है कि कांटे सुबह ही चल जायं। साथ ही जो धारा है उसमें यह पाबन्दी मिल मालिक के लिये रखी गयी है कि उसको रोजाना कांटे की जांच करानी चाहिये। कैसे कराना चाहिये यह धारा में स्पष्ट नहीं है। अगर उन्हीं व्यक्तियों से कराना है जो रोजाना तौल करते हैं तो वह तो जैसा माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा, करे कराये हैं, नियमों का संशोधन कर देने से उसमें कोई अन्तर पड़ने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि मिल मालिक को कोई व्यक्ति नियुक्त करना चाहिये जो रोजाना काटों की जांच करे। अगर यह बात है तब फिर सब एक समय चेक नहीं हो सकते, क्योंकि एक मिल का कांटा गेट पर भी होता है और आउट स्टेशन पर भी तौल शुरू होने से पहले होना चाहिये। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है इसको हम चाहते हैं कि देख लिया जाय। बिना इस संशोधन को जांचे मान लेना ठीक नहीं है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन मेरे साथी जगन्नाथ मल्ल ने रखा है इसमें कोई तत्व मैं नहीं देखता। जैसा कि अभी माननीय उपमंत्री ने बताया कि जब मिल मालिक अपनी ओर से किसी निरीक्षक को रखेगा तो वह मिल का क्यों नुकसान करेगा, क्यों उसको देखेगा और हर एक किसान जब कि गन्ने की गाड़ी तौलाने आयेगा तो उसको इतनी हिम्मत होनी चाहिये कि अपनी गाड़ी को तौल कराने के पहले उस कांटे की जांच करा ले। लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर अवश्य दिलाना चाहता हूं कि मिल के गेट के ऊपर केन यूनियन्स होती हैं। उनके इंस्पेक्टर्स समय-समय पर अमर निरीक्षण कर लिया करें और प्रतिदिन के लिये अगर आदेश कर दें कि वे निरीक्षण कर लिया करें तो अच्छा हो। लेकिन जो आउट स्टेशन्स हैं या जो फ्री एरियाज हैं अगर मिल ने कांटा वहां पर लगाया है उसके लिये माननीय मंत्री जी कौन सा उपाय करेंगे? हमने गत वर्ष एक मिल में देखा कि गाड़ी की तौल के बाद गाड़ी वाले से कहा कि जो ठेकेदार था कि गाड़ी का गन्ना उतारो। जब तक हम पहुंचते हैं उस वक्त तक गन्ना उतर चुका है। ऐसी दशा में चेकिंग कैसे हो सकती है? अगर ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया जाय और केन यूनियन के और मिल के भी कोई प्रतिनिधि हों तब ऐसा है कि किसानों की किसी तरह से रक्षा हो सकती है वर्ना जिस तरह की धांधली फ्री एरिया या आउट स्टेशन्स में चल रही हैं उसको दूर करने के लिये क्या उपाय हो सकता है। सरकार की तरफ से कुछ रीजिनल-केन इंसपेक्टर्स रखे गये हैं। और रीजनल केन इन्सपेक्टर हैं उनका पता नहीं चलता है कि वह कब आते हैं, किस तरह से निरीक्षण करते हैं? हर जिले में जहां तक मुझे पता है स्पेशल केन आफिसर्स भी रहते हैं वह निरीक्षण कर सकते हैं लेकिन मैं जानता हूं कि वह साल भर न जाने कहां रहते हैं और कम से कम सीजन में तो कभी निरीक्षण नहीं करते हैं। इन चीजों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये तब ही ठीक हो सकता है। सुबह शाम वाला जो सवाल है वह बेकार है क्योंकि वह जैसे चाहे

[श्री धनुषधारी पाँड़ेय]

रख देंगे, उनका ही कांटा है और उनके ही आदमी हैं और किसान के साथ जैसा चाहे वह व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन इन प्रतिबन्धों के साथ मामला ठीक रहेगा और निरीक्षण भी ठीक होगा। मिल मालिकों का निरीक्षण रहना न रहना एक ही चीज होगी।

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मल्लजी ने संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। नियम में भी है कि निरीक्षण करेगा और माननीय मल्ल जी का कहना यह है कि वह प्रातःकाल रख दिया जाय क्योंकि श्रीमन्, सवेरे से ही तौल शुरू होती है, वह दिन भर और रात में भी मिल वाले तौल करते हैं और शाम तक गाड़ियों के आने जाने से और बैलों के आने जाने से गंदगी हो जाती है। इसलिये यदि मल्ल जी ने प्रातःकाल के लिये रखा है तो वह सब से अच्छा है क्योंकि एक तरह से कांटे की सफाई हो जायगी और दिन भर तोल होगी। पांडेय जी ने जो रखा है इसमें भी मल्ल जी को कोई शिकायत नहीं है। मिल के कर्मचारी को न रखकर केन इन्सपैक्टर निरीक्षण कर लें तो और भी सुन्दर होगा क्योंकि मिल का निरीक्षक होगा तो हो सकता है कि वह कुछ गड़बड़ी करे और वह गेट पर न जाय और वहीं से लिख दे। उनका मतलब तो यह है कि प्रातः काल कांटे की सफाई हो जाय तब तौल शुरू हो। अगर ऐसा नियम में कर दिया जायगा तो मिल मालिक बाध्य होंगे और सबेरे-सबेरे निरीक्षण करा लिया करेंगे और गन्ना उत्पादक भी देखेंगे कि तौल होने से पहले कांटे की सफाई हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो वह एतराज करेगा और निरीक्षण करने के बाद वह अपनी गाड़ी ले जायगा और फिर तोल शुरू होगी। इससे गन्ना के उत्पादकों का भला होगा और जो लोग तौल में घपला करते हैं, उससे बिचारे यह गरीब किसान बच जायेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, जितने भाषण इस सदन में मेरे संशोधन पर हुये मैंने बड़े ध्यान से उनको सुना। माननीय काटजू साहब ने गन्ना की जानकारी के बारे में बतलाया और यह भी बतलाया कि मैंने गन्ना भी देखा है और आपके यहां एक चीनी मिल भी है, जो सालों से बन्द पड़ी है। श्रीमन्, जो तौल होती है वह चीनी मिलें जो बन्द रहती हैं वहां नहीं होती है। यह ऐसी जगह तोल होती है जहां मिलें चालू होती हैं। आपने गन्ना खाया होगा लेकिन जो गन्ने की गंडेरियां बाजार में गुलाब जल से सींची हुई बिकती हैं। वह खाई होंगी। मैं माने लेता हूं। लेकिन आपने जो सवाल पैदा किया उससे तो मैं यह कहूंगा बहुत इज्जत के साथ कि वह कानून को भले ही जानकारी न रखते हों लेकिन इस गन्ने के मसले पर अगर वह बुरा न मानें तो उनको कुछ भी जानकारी नहीं है और न उनको इसकी तोल के बारे में कोई जानकारी है, अगर उनके पास नियम नहीं हैं।

श्री शिवनाथ काटजू---हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---कोई बात नहीं। अगर हैं तो कोई शुबहा नहीं होना चाहिये। यह जो नियम ३८ है यह कहता है कि रोज मिल मालिक अपने किसी आदमी को नियुक्त करके कांटे की जांच करायेगा। नियम ३८ इस प्रकार है--

"फैक्ट्री का अध्यासी अथवा खरीदारी एजेंट गन्ना खरीदने में प्रयुक्त रखे गये अथवा कब्जे में रहने वाले समस्त वे ब्रिजों की प्रतिदिन परीक्षा करायेगा और ऐसी परीक्षा का अभिलेख रखेगा जो मांगे जाने पर निरीक्षक को दिखलाया जायगा।"

तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर उसने निरीक्षण करा लिया तो कोई दूसरा निरीक्षण नहीं कर सकेगा। उसके लिये सरकार की तरफ से इन्सपेक्टर नियुक्त हैं। और बहुत से इस सदन के माननीय सदस्य भी निरीक्षक हैं। तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। वह किसी भी वक्त उसकी जांच कर सकते हैं। जो भी इन्स्पेक्टर जायगा, वह जांच करेगा। मेरे कहने का

मतलब यह है कि वह सवेरे परीक्षा करा लें क्योंकि होता यह है कि वह कागज में तो भर लिया जाता है और होता कुछ नहीं। इसके अलावा एक और दिक्कत है, जो मैंने मंत्री जी को बतलाई कि २४ घंटे मिल चल रही है और इसकी जांच करने के लिये कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा क्योंकि बांटों को रखना, फिर देखना कि स्केल ठीक है या नहीं और अगर नहीं है तो उसे ठीक करना, उसकी सेटिंग आदि में आधा घंटा लगेगा जरूर। और मैं सवेरे इसलिये कह रहा हूं कि हर मिल रोलर आदि की सफाई के लिये दो घंटे बन्द रहती है और उसी समय अगर कांटे की जांच हो जाय तो ठीक होगा।

मुझे श्री धनुषधारी पांडेय की बात पर कोई एतराज नहीं है कि अगर कोई केन यूनियन का आदमी है वह जाय लेकिन प्रतिदिन का जो नियम सरकार बना रही है उसमें मैं यह चाहता हूं कि प्रातःकाल का प्रतिबन्ध लग जाय। नहीं तो श्रीमन्, मैंने देखा है कि महीनों नहीं तो एक सप्ताह तक कांटे की जांच नहीं होती। एक हफ्ते बाद हर मिल २४ घंटे के लिये बन्द की जाती है। उस समय वह कांटे की जांच करते हैं और वह भी इसलिये कि कहीं ज्यादा तो नहीं तुल रहा है। वह अपने फायदे के लिये उसकी जांचकरते हैं। तो अगर इसमें यह शब्द रख दिये जायेंगे तो यह बिल्कुल साफ हो जायगा और म नहीं समझता कि इसको मानने में क्या दिक्कत है। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आती, न कोई परेशानी है और न कोई खर्च। श्रीमन्, मैं कहना नहीं चाहता इन्स्पेक्टरों के बारे में, लेकिन मुझे शिकायत है कि केन इन्स्पेक्टर जो सरकारी मुलाजिम हैं वह उचित जांच नहीं करते। मैं इसको यहां कहना नहीं चाहता, माननीय मंत्री जी स्वयं इसकी जांच करायें कि उनके इन्स्पेक्टर ठीक से जांच करते हैं या नहीं। वह ठीक से जांच बिल्कुल नहीं करते और जाकर मैनेजर के कमरे में बैठ जाते हैं अगर कुछ गलती भी होती है तो कुछ इधर-उधर होता है और सब हशप हो जाता है। तो इस ओर सरकार ध्यान दे। मैं समझता हूं कि यह शिकायत बहुत से माननीय सदस्यों को होगी कि यह जांच ठीक से नहीं होती और इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इसका ध्यान रखे, जांच करायें और जहां भी गड़बड़ी पाये वहां सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। ताकि जांच में गड़बड़ न हो सके और मिल मालिकों को भी साहस न हो सके कि वह गन्ने की तोल में गड़बड़ी करके उससे अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगर वह इसकी भावना को स्वीकार करते हैं तो इसको भी स्वीकार करने की कृपा करें। उन्होंने ऐसी दलील भी नहीं दी जिसमें यह बतलाया हो कि इसके वर्किंग में यह कठिनाई होगी और न कोई और चीज इस तरह की बतलायी है। तो इस प्रकार का यह संशोधन है जिससे सरकार के जो नियम हैं उनकी तामील करता हो और उनको मदद मिलती हो तो सरकार को उसको स्वीकार करना चाहिये। यदि उन्होंने इस बात की कसम ही खाली हो कि इसको स्वीकार नहीं करना है तब तो बात ही दूसरी है।

श्री फूलसिंह--श्रीमन्, मैं तो बहुत स्पष्ट बतला चुका हूं कि क्या कठिनाई इसमें है। इसमें शब्द तीन आये हैं, प्रतिदिन, प्रातःकाल तौल शुरू होने से पहले, प्रतिदिन तो इसमें लिखा हुआ है। तौल शुरू होने से पहले बड़ा मुश्किल है कि प्रातःकाल इसमें जोड़ दिया जाय। यह संभव नहीं है कि रोज तौल प्रातःकाल ही शुरू हो। मिल मालिक अपनी सुविधा के अनुसार उसको बदलता रहता है। इसके रखने से यह नियम ही बेकार हो जायगा। बड़ी कठिनाई यह है कि रूल में यह है कि फैक्ट्री ओनर यह जांच करेगा और अगर यह नियम बना दिया जाय कि तौल शुरू होने से पहले प्रातकाल ही वह जांच करायेगा। तो एक फैक्ट्री में बहुत से कांटे होते हैं। मल्ल जी के यहां गेट पर कांटा हो सकता है। लेकिन ऐसे बहुत से मिल हैं कि जिनके काफी दूर तक १० मील २० मील पर कांटे हैं तो उन सब का वह एक घंटे में जांच नहीं करा पायेगा। शायद फिर यह हो कि जो तौल पर रहते हैं उनको कहा जाय कि वह लिख दें तब तो वह बेकार है और अगर किसी आदमी को वह रखेगा तो सब जगह वह कैसे जायेगा कि उनकी जाकर जांच करे और हर कांटे के लिये एक एक आदमी रखना संभव नहीं है। एक आदमी सब कांटे पर जा नहीं सकता है। इसलिये यह संशोधन अव्यावहारिक मालूम होता है। इसकी भावना का मैं

[श्री फूलसिंह]

समर्थन करता हूं। इसको बाद में देखकर क्या मैं कर सकता हूं वह करने का प्रयास किया जायगा। इस वक्त जो संशोधन है उसको मैं मान नहीं सकता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अगर मैं इसमें से "प्रातःकाल" शब्द को निकाल दूं तो क्या माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे। ऐसा मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी इस पर बाद में कुछ विचार करने को तैयार हैं। इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

नियम ४१

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि नियम ४१ को निम्नप्रकार रख दिया जाय :—

"गन्ने की तौल सूर्यास्त के आध घंटा बाद तक न की जायगी जब तक कि गन्ना उत्पादक उसके लिये लिखित स्वीकृति गन्ना कमिश्नर को न दे दे।"

श्रीमन्, यह मेरा जो संशोधन है वह बहुत साफ है। बहुत दिनों से यह मांग जनता की तरफ से चली आ रही है कि गन्ने की तौल रात में बन्द की जाय क्योंकि जो लोग गन्ने की मिलों से संबंध रखते हैं वह अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं कि गाड़ीवान और बैलों को रात में तौल होने से कितनी दिक्कत होती है। जाड़े के दिनों में जब ठंडी हवा चलती है, किसानों को खुली जगह में रातभर जागे पड़े रहना पड़ता है। उनके बैलों की, जिनके ऊपर सब कुछ निर्भर करता और बरबादी होती है और मनुष्यों की सेहत खराब होती है। बहुत सी लड़ाइयों में भी इस पर मांग की गई और प्रांत भर में यह मांग रही है कि गन्ने की तौल दिन में की जाय। बैगसदरलैंड की जितनी कम्पनियां हैं वे सब गन्ने की तौल दिन में ही करती हैं और रात को पेरे जाने के लिये भी वे गन्ना दिन में ही रख लेती हैं। इससे इन्डस्ट्री को बहुत फायदा होता है क्योंकि गन्ना रखने से वह सूखने लगता है और शुक्रोज, जोकि चीनी के दाने के रूप में आ जाती है, वह खत्म हो जाता है और वह शीरे के साथ या खुइये के साथ चला जाता है। इससे राष्ट्रीय हानि होती है। बैगसदरलैंड की कम्पनियों में रिकवरी काफी होती है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वे दिन में तौल कर लेती हैं। उनका गन्ना बाहर बड़े बड़े सूखने नहीं पाता है।

जिस तरह से अब तोल चलती है उसमें किसान एक दिन पहले ही अपना गन्ना काट लेता है जो खेत में भी सूखता है और उसका शुक्रोज खराब होता है। यह २४ घंटे की तौल बहुत हानिकर है किसान के लिये और राष्ट्र के लिये भी। यदि हम ज्यादा चीनी बना सकें तो हमारे राष्ट्र के लिये अच्छा होगा। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इसके लिये थोड़ा सा प्रबन्ध करना है कि थोड़े से वैगन रखने हैं, जिनकी कोई कमी नहीं है। मैंने गोरखपुर में देखा है कि तमाम बैगन्स टूटे-फूटे पड़े रहते हैं और यह काम भी ऐसे वैगनों पर होता है। वे इंजिन में नहीं लगाये जावेंगे। ऐसे वैगन बहुत अच्छी तरह से इस कार्य में इस्तेमाल हो सकते हैं।

अगर सरकार कोई नियम नहीं बनावेगी तो दूसरी मिलें इधर ध्यान नहीं देंगी। बैगसदरलैंड की मिलों ने इधर ध्यान दिया और लाखों रुपया का फायदा उठाया। लेकिन हमारे यहां के मिल मालिकों की ऐसी मैन्टैलिटी हो गई है कि चाहे जैसे भी ज्यादा पैसा मिले। वह कम से कम खर्च और अधिक से अधिक रुपया कमाना चाहता है। उसे इस बात की चिन्ता नहीं है कि मिल कैसे अधिक एफीशैन्टली चले। सरकार को यह प्रतिबन्ध लगाना चाहिये कि दिन में तोल की जाय और यही मेरे इस संशोधन में है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री फूलसिंह---यह नम्बर १८ का संशोधन इस प्रकार है कि इससे यह पता नहीं चलता है कि कब से कब तक तोल की जाय या कब से कब तक न की जाय। यह संशोधन नहीं आता तो ज्यादा अच्छा था। इसके स्वीकार करने में मुझे बड़ी कठिनाई है क्योंकि, इससे किसान का बड़ा अहित होगा। असली बात यह है कि रात को गन्ना तोलना जारी रहे या न रहे। मई और अप्रैल में रात को ही गन्ना तौलना ठीक रहता है और जनवरी और फरररी में तकलीफदेह है। इस बात पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यह संशोधन जैसा यह है स्वीकार करने योग्य नहीं है। मैं माननीय मित्र को यकीन दिलाता हूं कि विचार करके एक ऐसा रास्ता निकाला जायगा कि किसानों का भला हो और वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने रखा मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन में यह है कि गन्ने की तौल सूर्यास्त के आध घंटा बाद तक न की जायगी जब तक कि गन्ना उत्पादक उसके लिये लिखित स्वीकृति गन्ना कमिश्नर को न दे दें। और ४१ में है क्या? "गन्ने की तौल सूर्यास्त के आधे घंटे पश्चात् तब तक न की जायगी जब तक प्रकाश की ऐसी व्यवस्था जिसको निरीक्षक ने स्वीकार किया हो और तुला दंड को सरलता से पढ़ने के लिये पर्याप्त हो, न की गयी हो और आगे की भी की जाती रहे।"

माननीय मल्ल जी की मंशा इस संशोधन से यह है कि सूर्यास्त के बाद जो रात में तौल होतीहै उसमें एक ही नहीं बल्कि अनेकों प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। एक तो यह कि गन्ना उत्पादक जब रात में गन्ना लेकर पहुंचता है और वहां पर चारों तरफ से गाड़ियों की भीड़ इकट्ठी होती है उस समय वह मिल के मैदान में, माह पूष की रात्रि में जब कि काफी अधिक सर्दी पड़ने लगती है, उस वक्त बैलों की जोड़ी के साथ वह सरदी और खुले मैदान में रहता है उसके ऊपर कोई छाया नहीं होती। बारिश होती है तो भी वह वहीं पड़ा रहता है। वह और गाड़ी के बैल मिल के हाथ में दो दो दिन तक पड़े रहते हैं। उस जाड़े के मौसम में इस प्रकार से उस किसान को कष्ट होता है। इसके अतिरिक्त रात की तुलाई में अनेक प्रकार के गड़बड़ियां होती हैं। तोलने वाला निर्भीक हो जाता है क्योंकि वह समझता है कि रात में कोई निरीक्षक तो आयगा नहीं। यही नहीं जब गन्ना खेत से आकर दो दो दिन तक पड़ा रहता है तो उसके वजन में भी कमी हो जाती है। तो मल्ल जी के इस संशोधन के रखने से यह मंशा है कि गाड़ियां सबेरे से तौलना शुरू की जायं। तो इससे मंत्री जी को यह अंदेशा हो सकता है कि काफी गाड़ी अगर तौल कर न रखी जाय तो रात को मिल बन्द करना होगी लेकिन मैं यह अर्ज करता हूं कि गन्ने को मिल मालिक दिन में इतना तौल लें जिससे रात के पेरने को रह सके। इससे गाड़ीवान और बैलों को, जो कि गाड़ी को मिल तक लेकर आते हैं, आराम मिल जायगा तथा मिल के हाथे में जो कष्ट उनको होता है, वह न होगा। इसके अलावा तौल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो पायेगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--- उपाध्यक्ष महोदय, मल्ल जी का यह जो संशोधन है इसको मैं, या तो मेरी खामी है कि मैं इसको ठीक नहीं समझ सका। मल्ल जी ने यह बतलाया कि दिन में तोलने से बैलों को आराम रहेगा और गाड़ीवान भी सुखी रहेंगे। लेकिन श्रीमन्, मुझे इसमें कुछ शंका मालूम होती है क्योंकि गन्ना गेट पर तो रहता नहीं है कि गाड़ीवान उसको गाड़ी पर चढ़ाकर तुरन्त मिल के दरवाजे पर खड़ी कर दे। गन्ना तो दो चार ६ मील से लाद कर लाया जाता है और अगर सुबह तौल शुरू होती है तो वह गाड़ीवान अपना गन्ना रात को ही लाद कर लेकर चलेगा और उसमें यह भी सिस्टम हुआ करता है कि मिलों में कतारबन्दी हुआ करती है। गाड़ीवान की यह भावना होती है कि हम पहले पहुंच जायं और इस ख्याल से कि हमारी गाड़ी आगे रहेगी, जब तौल सुबह से शुरू होगी तो रात को ही वह

[श्री सियाराम चौधरी]

अपनी गाड़ी हांकेगा और तौल दिन भर होता रहेगा यानी उनके कहने के मुताबिक रात को तौल न की जाय। अब जो गाड़ी बच जायेंगी उनका क्या हाल होगा? यह बात सही है जैसा कि दूसरे भाई वर्मा जी ने बतलाया कि दो दो दिन तक गाड़ियां खड़ी रहती हैं। मैं तो समझता हूं कि हमारे मल्ल जी कोई ऐसा नियम लावें, जिसके जरिये गन्ने के तौलने का सिस्टम और गन्ने को बैलगाड़ियों पर लाने का सिस्टम पर्चियों द्वारा हो। हमारे जिले बहराइच में तथा और भी कई जिले में यह सिस्टम है कि वहां पर पर्चियां बांट दी जाती हैं और उसी के अनुसार लोग अपना गन्ना लाते हैं। सरकार द्वारा कोई ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिये कि जितनी पर्चियां जिस दिन के लिये बांटी जायं उनका गन्ना जरूर तौल लिया जाय। अब आपने यह बतलाया कि दिन में गन्ना तौलने से सूखता नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है कि दिन में ही गन्ना सूखता है, रात गन्ना नहीं सूखता। मेरा अपना ऐसा अनुभव है क्योंकि रात में शीत पड़ती है और इस वजह से गन्ना नहीं सूखता है तथा उसका रस भी नहीं सूखता। लेकिन न मालूम मल्ल जी ने यह तरीका कहां से निकाल लिया कि रात की तौल से किसानों को नुकसान होता है।

यह चीज तो मैं जरूर मानता हूं कि तौलने में जो धांधली होती है वह रात में ज्यादा हो सकती है। इस माने में उनकी बात सही हो सकती है, लेकिन गन्ने के सूखने के बारे में जो उनका ख्याल है कि गन्ना रात में सूखता है उनका यह तजुर्बा गलत है। रात को गन्ना कम सूखता है। किसान बैलगाड़ियों को लेकर जब आते हैं मसलन सुबह तौल शुरू होती है तो वे रात को ही गन्ना लेकर चलते हैं। तो रात की हवा की तकलीफ, रात में जागने की तकलीफ, बाहर की तकलीफ जो रात में होती है उसको तो मैं महसूस करता हूं लेकिन मल्ल जी की यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि जो उन्होंने संशोधन के जरिये पेश किया है। मल्ल जी कोई ऐसा नियम लावें कि जितनी पर्चियां उस दिन के लिये बांटी जायं उनका गन्ना उस दिन जरूर तौल लिया जाय और किसानों को दूसरे दिन के लिये इन्तजार न करना पड़े। मैं मल्ल जी से प्रार्थना करता हूं कि वे कोई ऐसा नियम लावें जिससे किसानों की यह दिक्कत दूर हो जाय।

श्री शिव नारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मल्ल जी का जो संशोधन है वह करप्शन का एक वायस होगा। दिन भर में अगर गन्ना तौला जाय तो जो पर्चियां गत वर्ष ५, ५ रुपये की हमारे यहां बिकी हैं वे इस साल दस दस रुपये की हो जायंगी। इस संशोधन में यह दिया हुआ है कि गन्ना उत्पादक सूर्यास्त के बाद अगर तौलायेगा तो उसके लिये केन कमिश्नर की परमिशन लेगा। मैं आपकी आज्ञा से नियम ४१ जो अंग्रेजी का है पढ़ देता हूं—

"We ighments of cane shall not be made more than half an hour after sunset unless lighting arrangments approved by an inspector as sufficient for the easy reading of the scale arms, are made and maintained."

इसमें साफ दिया हुआ है कि तौल उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि केन इन्सपेक्टर यह न देख ले कि वहां पर पूरी लाइट का प्रबन्ध हो गया है। दूसरी बात यह है जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि जब पुर्जी मिलेगी तो ६ या ८ मील से गन्ना मिल गेट पर आएगा और मिल मालिक के लठैत खड़े हो जाते हैं तो लाइन लगाने में और पर्ची मिलने में और नम्बर मिलने में करप्शन होगा। इस मल्ल जी के संशोधन से। मैं समझता हूं कि इस तरह से मल्ल जी मिलमालिक को सपोर्ट कर रहे हैं करप्शन के लिए, वह चाहते हैं कि मिलमालिक का लाभ हो, लेकिन इससे किसानों का गला कटेगा। गवर्नमेंट ने जो नियम रखा है वह साफ है और किसान जब दो दिन चलेगा तो उसका गन्ना आने में सूखेगा, रामसुभग जी ने कहा कि गन्ना दो दिन पड़ा रहता है और जब

दो दिन पड़ा रहता है तो इसमें संशोधन की क्या जरूरत है। (एक आवाज—कोरम नहीं है ?) मैं ईल्ड नहीं करता। मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि अमेंडमेंट बेकार है और वेस्ट पेपर बास्केट में फेंकने लायक है और सरकार ने जो नियम रखा है वह ठीक है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन् मेरे संशोधन पर जो बहस इस समय सदन में हुई उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं क्या बताऊं, हमारे बहराइच वाले साथी ने कह दिया कि इससे नियम और खराब हो जायगा, मैं कहता हूं कि यह हो ही नहीं सकता। मैं उन माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह एक बार हमारे यहां तशरीफ लायें और मैं उनको ले जाकर दिखला दूंगा कि बेगसदरलैंड की फैक्टरी गौरी बाजार में क्या होता है, कैसे गन्ना आता है, कैसे तोला जाता है। (एक आवाज—लेकिन गन्ना दस मील के अन्दर का आता है) जोनिंग तो दस ग्यारह मील के अन्दर की है। मैं कहता हूं कि उस तरह से एक साथ आयेंगे तो रश हो जायगा और गड़बड़ी हो जायगी। शिवनारायण जी को उसमें करप्शन दीखने लगा, उनको मतलब इससे है कि हर जगह कुछ कहना चाहिए, वह खड़े होकर करप्शन कहें या कुछ भी कहें। मैं तो कहता हूं कि इससे करप्शन रुकेगा, क्योंकि रात में कांटे की तौल होती है तो मिल मालिक किसानों का गला काटते हैं। शिवनारायण जी को इसका पता नहीं है कि रात में ही कटौती होती है और वह खुद जानते होंगे और हम लोग हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि रात की तौल बन्द की जाय। जहां तक गन्ना लाने का सवाल है कायदा यह है कि जो गन्ना सुबह पेरा जाने वाला होता है तो उसके लिए इस तरह से अरेन्ज किया जाता है कि उसको किसान एक दिन पहले शाम को काटता है। और एक दिन पहले घर पर गाड़ी लाकर खड़ा करता है। देहात के रहने वाले सदस्यों को इसकी जानकारी होगी कि वह उसके बाद सुबह ४ बजे उठ कर बैलों को चारा खिलाता है और जोत देता है, वह दस मील से चलता है दोपहर तक पहुंच जाता है, जो करीब का है सुबह पहुंच जाता है। और अगर कोई ३२ मील से लाता है तो कई दिन पहले से चलता होगा, लेकिन दस मील वाले को कोई दिक्कत नहीं पैदा होती। (एक आवाज—दस मील वाले गाड़ीवान सुबह पहुंच सकते हैं) शायद आपको तजुर्बा नहीं है, ४ बजे चल कर दस बजे तक पहुंच सकते हैं, १२ बजे दोपहर तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से करीब वाले पहले और दस मील वाले दोपहर तक पहुंच सकते हैं। जब आपकी समझ में इतनी बात नहीं आ रही है तो मैं क्या समझा सकता हूं ? यह तो खाली हठधर्मी है वरना यह तो बहुत साफ है। अगर माननीय सदस्य को जानकारी हासिल करनी है तो बेग सदरलैंड की फैक्टरियों में यह चीज प्रैक्टिस में है वह इसको जाकर खुद देख सकते हैं। जो इंस्टीटचूट्स का चार्ट है उसको देख लें तो उनको पता चल जायगा कि उसकी रिकवरी औरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। एक आदमी जिसका गन्ना पेरा जाने वाला है वह लेकर आता है। १० मील से आया है। अब कहा जाता है कि ३२ मील से लोग आते हैं।

श्री शिवनारायण—हमारे डोमरियागंज में ऐसा ही होता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल— हमें पता नहीं कि डोमरियागंज में कोई मिल है या नहीं और अगर उनको लेकर आना पड़ता है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि माननीय शिवनारायण जी की तकलीफ को मिटावें और ऐसी व्यवस्था करें कि वहां कांटे लगवा दिये जावें। तो मैं यह कह रहा था कि किसान हमेशा से यह मांग करते आये हैं कि दिन में ही उनके गन्ने की तौल हो जावे।

यह सही है कि साल में कुछ समय ऐसा भी आता है जब दिन की अपेक्षा रात में ही तोलना लोग पसन्द करते हैं और वह है मई जून के दिनों में जब गरमी में मिलें

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

चलने लगती हैं तो दिन में तक़लीफ होती है और इसलिये उन दिनों में किसान रात में तौल कराया जाना जरूरी समझता है। इसलिये ही मैंने किसानों को राय पर ही रखा है कि अगर वे चाहें कि गरमी के दिनों में रात में तौल हो तो रात में कराई जाय और जाड़े के दिनों में दिन में हो तो दिन में कराई जाय। मेरा संशोधन बिल्कुल साफ है और इसमें कोई दिक्कत माननीय शिवनारायण जी को भी नहीं है। अगर किसी जगह क किसान का मंशा हो तो दिनोंरात उसकी तुलाई हो सकती है। इसमें यह कहां दिक्कत है कि रात में तुलाई हो ही नहीं सकती। जहां किसान जैसा चाहे वैसी तुलाई करा सकता है। मेरा संशोधन तो यही कहता है और इसमें कोई बहुत समझने वाली बात भी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री फूलसिंह--मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम ४१ को निम्न प्रकार से रख दिया जाय :

"गन्ने की तौल सूर्यास्त के आध घंटा बाद तक न की जायगी जब तक कि गन्ना उत्पादक उसके लिये लिखित स्वीकृति गन्ना कमिश्नर को न दे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम ४९

श्री जगन्नाथ मल्ल--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ४९ में "९ पाई" के स्थान पर "२ आना" रख दिया जाय। श्रीमन्, यह बहुत सीधासादा संशोधन है और इसलिये रख रहा हूं ताकि केन यूनियन्स की दशा सुधरे और डेवलपमेंट वर्क में ज्यादा काम कर सके। किसानों को अच्छा बीज और अच्छी खाद दे सकें और गन्ने के डेवलपमेंट का काम अच्छी तरह से चल सके। इनको ज्यादा कमीशन मिलने से कोआपरेटिब्स के जो शेयर होल्डर्स हैं जो कि केन ग्रोवर्स ही हैं उनको कुछ डिविडेंड मिल सकेगा, सरकार गन्ने का दाम बढ़ाती नहीं। अगर इस तरह से उनको कुछ मिल जायगा तो उनको कुछ फायदा हो सकेगा और इस डिवीडेंड से उनको कुछ काम धन्धे करने में सहूलियत हो सकेगी। जो कमीशन इस वक्त इन सोसाइटीज को मिलता है वह तीन पैसा ही है उसे बढ़ाकर दो आने कर दिये जायं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री फूलसिंह--श्रीमन्, यह मल्ल जी ने जो संशोधन रक्खा है कि कमीशन ९ पाई से बढ़ा कर दो आने कर दिया जाय यह बहुत बड़ा आकर्षक है और मैं समझता हूं कि इसको मान लेना चाहिये लेकिन कठिनाई यह है कि इसका क्या असर कंज्यूमर पर पड़ेगा और क्या फैक्टरीज पर पड़ेगा। यह देखने वाली बात है। जो श्रीमन् फैक्टरी की वर्किंग है वह अब भी कठिन है और अगर तीन पैसे के बजाय दो आने कर दिये तो और ज्यादा कठिन हो जायगी और इसका यह असर हो कि कुछ फैक्टरीज को और मौका मिले किसी और प्रान्त में इस दृष्टि से जरा इसको एग्जामिन कर लिया जाय। जब इसको बढ़ायेंगे तो यह मैं आश्वासन देता हूं कि जगन्नाथ मल्ल जी के नाम से ही बढ़ायेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मेरे नाम से जहां तक बढ़ाने का सवाल है अगर सरकार बढ़ावे तो अपने नाम से ही बढ़ावे। वैसे मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

नियम ५२

श्री जगन्नाथ मल्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ५२ की पंक्ति ३ में "स्वीकृत" और शब्द "के" के बीच में "और कर्मचारियों के संघ की सलाह" बढ़ा दिया जाय।

नियम ५२ में श्रीमन् यह है कि जो स्थायी या अस्थायी कर्मचारी रहेंगे उनकी सर्विस की कंडीशंस क्या होगी ? इसका फैसला जो है, फेडरेशन अपनी राय पर करेगा, और उसकी अनुमति केन कमिश्नर देगा। मैं समझता हूं कि अगर्चे कोई ऐसा नियम बने जिसमें कर्मचारियों का उससे सम्बन्ध हो तो यह जरूरी होता है कि उनसे भी राय ली जाय। सरकार ने ऐसा रक्खा भी है कि जब कभी कोई चीज, चाहे बोनस हो या कोई दूसरी चीज हो जिसका सम्बन्ध इंडस्ट्रियल लेबर से रहा है तो सरकार ने उस इंडस्ट्री के लोगों को और मजदूरों को बुलाया है और उनकी राय जानने की कोशिश की है। सरकार अगर उस नीति पर चलती है तो कोई वजह नहीं है कि इंडस्ट्रियल लेबर के साथ वह नीति तो बरते कि उससे राय ले ले, लेकिन जो केन कोआपरेटिव यूनियन में काम करने वाले लोग हैं उनसे वह राय न ली जाय। मैं समझता हूं कि उससे राय लेना जरूरी है। मैं यह नहीं कहता कि जो वह कहें वह सही है। अपनी सर्विस कंडीशंस के सम्बन्ध में काम करने वाला मजदूर कितना बता सकता है उतना दूसरे लोग अपनी भावनाओं से जानकारी हासिल नहीं कर सकते। इसलिये मेरा जो संशोधन है वह यह कहता है कि एक तरह से उन वर्कर्स को जो कि कोआपरेटिव में काम करते हैं उनको हक़ दिलाता है कि जब उनकी सर्विस कंडीशंस बनने लगें तो उनकी भी राय ले ली जाय और अगर्चे उनकी राय अच्छी है या खराब है इस पर विचार करके केन कमिश्नर उस पर अनुमति दे दे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं आती जिसमें कहीं पैसा बढ़ाने का सवाल हो या कहीं कोई अधिकार का हनन हो या कोई वैसी चीज हो जिसको मानने में सरकार को कठिनाई होती हो। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह अख्तियार इंडस्ट्रियल लेबर को सरकार दिये हुए है जब कोई नयी चीज सरकार करती है, या उनकी कंडीशंस की बात आती है तो उनसे भी राय ले ली जाती है। ट्रिपार्टाइट कानफरेंसेज होती हैं। तो इस तरह से अगर्चे सरकार अपनी नीति पर चलती है तो जो राय या जो सजेश्चन इंडस्ट्रियल लेबर से वह लेती है कोई वजह नहीं है कि उसी तरह से राय वह उन कर्मचारियों से न ले जो कि कोआपरेटिव में काम करते हैं। उनको भी अख्यिार होना चाहिये कि वह भी अपनी राय दें सकें और यह कह सकें कि हमें यह सुविधा दी जाय। फैसला करने का उन्हें अधिकार भी नहीं है। खाली राय का सवाल है। इसमें मैं समझता हूं कि सरकार उन कर्मचारियों का ध्यान करते हुये उनकी राय लें जब उनकी सर्विस कंडीशंस बनने लगे। उसकी पूर्ति हमारे इस संशोधन के द्वारा होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री फूलसिंह—यह संशोधन बहुत महत्व का है। यह धारा संबंधित है, परमानेंट और टेम्पोरेरी कर्मचारियों से कोआपरेटिव सोसाइटीज के और इस धारा में उनका ग्रेड, स्केल आफ सैलरी और दूसरी टर्म्स आफ कंडीशंस तय होंगी। माननीय सदस्य का यह कहना है कि यह सब बातें कर्मचारियों की परामर्श से की जायं। यह बहुत बड़ी बात है। यहां स्वीकार करना कठिन होगा। पर आशा करूंगा कि इसको थोड़े से स्केल पर वह अपने दफ्तर वग़ैरह में चला करके इसको देखें कि कैसा चलता है, अगर वह ठीक होगा तो उस पर ध्यान दिया जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन् अपने दफ्तर में लागू नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं हमको लागू करने को। "पर उपदेश कुशल बहुतेरे"। हमारे दफ्तर में सरकार जो लागू कर देगी हम मानने को तैयार हैं बशर्ते कि सरकार भी उस चीज को अपने दफ्तर में लागू कर दे और नहीं भी लागू करेंगे तो चल कर वह जो बता देंगे कि यह कर दो तब भी हम मान लेंगे। मैं कहता हूं श्रीमन्, कि चलें मंत्री जी हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी भी बात सुनें। इसमें दफ्तर में लागू होने का सवाल नहीं है। कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं। खाली उनसे सलाह लेने का प्रश्न है। तो क्या इसमें भी कोई दिक्कत होती है कि हम पूछें भाई तुम्हारी क्या तक़लीफें हैं। हम सर्विस रूल्स बनाने जा रहे हैं तुम अपनी तक़लीफें बताओ ताकि हम उसको सुधार सकें और जहां तक हो सके हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें कौन दिक्कत हो रही है सरकार को। इसमें दफ्तर में लागू होने का क्या सवाल? इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी की कोई सर्विस रूल्स बनाने में तो पूंछ सकते हैं। मैं क्या बताऊं इंडस्ट्रियल लेबर में पूछा जाता है, माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं हैं नहीं तो वह बता देते। एक स्टैंडिंग आर्डर बना है उसमें स्टैंडिंग आर्डर में एक कानूनी दिक्कत थी कि मिल मालिक अपने मन से बनाते, लेकिन फिर भी दोनों पार्टीज को बुला कर और सरकार ने समझौता कराया। तो इसमें पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस बुनियाद पर सरकार खामी समझती है जिस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट है मैं समझता हूं कि सरकार ने एक सजेशन भी दिया है कि ऐसा अधिकार होना चाहिये कि ताकि मजदूरों की भी बात सुनी जाय और इतनी जो वाइड पावर्स मिल मालिकों की हैं उनको हटाया जाय तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसको स्वीकार कर लेना चाहिये। यह तो बहुत सीधा सादा सवाल है, उनकी राय लेने का सवाल है, सीजन का तो सवाल है नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा कि वे इसको मान लें वैसे उनकी मर्जी।

श्री फूलसिंह—मुझे जवाब में वही चौपाई दुहरानी है जो उन्होंने कही: "पर उपदेश कुशल बहुतेरे"। जिसको कि अपने ऊपर लागू करना चाहिये। उसको गवर्नमेंट से कहते हैं कि वह करे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नियम ५२ की पंक्ति ३ में "स्वीकृत" और शब्द "के" के बीच में "और कर्मचारियों के संघ की सलाह" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम ५४

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम ५४ की पंक्ति २ में "और लेखा परीक्षकों" तथा पंक्ति ४ और ५ में "जो फेडरेशन की किसी आज्ञा को परिष्कृत अथवा निरस्त कर सकता है" निकाल दिया जाय और उसका प्रतिबन्धात्मक वाक्य भी निकाल दिया जाय।

श्रीमन् नियम ५४ इस प्रकार है :—

"गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के स्थायी अथवा अस्थायी सचिवों और लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने, अनुपस्थित रहने की छुट्टी मंजूर करने, दण्ड देने, काम से हटाने, स्थानान्तरण करने और नियन्त्रण करने का अधिकार का प्रयोग फेडरेशन द्वारा गन्ना कमिश्नर के सामान्य नियंत्रण के अधीन, जो फेडरेशन की किसी आज्ञा को परिष्कृत अथवा निरस्त कर सकता है, किया जायगा।"

श्रीमन्, मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस संशोधन को अवश्य मानना चाहिये और उसमें यह भी आया हुआ है कि

लेखा परीक्षक जो है फेडरेशन की किसी आज्ञा को परिष्कृत और निरस्त कर सकता है, तो श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यही था कि यह जो है इसमें जो फेडरेशन ऐसी आज्ञा दे दे, जैसा उसमें अधिकार दिया गया है उसका लेखा परीक्षक जो है उसको यह अधिकार हो कि अगर वह आज्ञा ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो उसको कैन्सिल कर सके। सिर्फ इतना ही है मेरे संशोधन का तात्पर्य। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री फूलसिंह---मैं इसका विरोध करता हूं। यह तो पहले ही तय हो चुका है कि लेखा परीक्षकों पर हम कोई पाबन्दी नहीं लगाते।

श्री जगन्नाथ मल्ल---अब इस पर क्या कहना है जब खामख्वाह विरोध ही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ५४ की पंक्ति २ में "और लेखा परीक्षकों" तथा पंक्ति ४ और ५ में "जो फेडरेशन की किसी आज्ञा को परिष्कृत अथवा निरस्त कर सकता है" निकाल दिया जाय और उसका प्रतिबन्धात्मक वाक्य भी निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं संशोधन को ही अब उपस्थित नहीं करना चाहता। माननीय मंत्री जी की तरफ से सुझाव आया है तो अगर वह इसको साफ कर देंगे तो उचित होगा, क्योंकि आज ५ बजे तक इसको चलना था। अब समय हो चुका है। इसलिये ज्यादा समय इस पर देना मुश्किल है, इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी बतावें, जो वह कहना चाहते हैं।

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस दिन नियमों पर बहस हो रही थी, प्रारम्भ में ही उस दिन कहा था कि जो नियमों में कहीं खामियां हैं वह विरोधी दल के नेता या उनके प्रतिनिधि हमारे अधिकारियों तथा हमारे उपमंत्री जी के साथ बैठ कर उनके ऊपर विचार विनियम कर लें और इनमें यदि किसानों के हित के सुझाव होंगे तो सरकार अवश्य इन नियमों में परिवर्तन कर देगी। दुर्भाग्य से उस दिन मेरी बात स्वीकार नहीं हुई थी परन्तु उसके शाम ही को या दूसरे दिवस मुझे माननीय नेता विरोधी दल से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझसे कहा था कि हां, हम आपस में बैठ कर इनके विषय में विचार विनिमय कर लेंगे। तो मैं अपनी उस बात को आज फिर दोहराता हूं और सदन को और अपने माननीय सदस्यों को यह वचन देता हूं कि यदि किसानों के हित के कोई सुझाव उनके पास से आयेंगे तो आपस में बैठ कर हम और हमारे उपमंत्री जी और हमारे अधिकारी उन पर विचार कर लेंगे और यदि आवश्यकता इस बात की हो गयी कि इन नियमों में किन्हीं स्थानों पर आवश्यक परिवर्तन करने हैं तो वे परिवर्तन कर दिये जायेंगे। मैं इस बयान के बाद अवश्य आशा रखता हूं कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी, जो और संशोधन, हैं उन्हें वापस ले लेंगे और अब इन नियमों की बहस को खत्म करने का अवसर प्रदान करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, वह तो मुझे करना ही था, इसलिये कि ५ बज गये और मंत्री जी का जो रुख है वह इस तरह का है कि सदन में क़तई मानने को तैयार नहीं हैं, तो शायद वहीं मान जायं। हमको तो जो किसानों के हक़ में चीज है उसको मनवाना है, चाहे यहां मानें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

या अपने कमरे में । इसलिये जो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम इसको शीघ्र ही उनके साथ बैठ कर संशोधन करा सकें और हमारी तरफ से और उनके अधिकारी और अन्य कांग्रेस के माननीय सदस्य जो इसमें जानकारी रखते हैं वह भी अपने सुझाव दें तो ठीक है। लेकिन काटजू साहब को नहीं बुलायेंगे, नहीं तो गड़बड़ी हो जायगी और माननीय शिवनारायण जी को भी नहीं। तो इस पर अच्छी तरह से विचार हो जाय तो बहुत अच्छा है। इस आश्वासन के बाद मैं अपने संशोधनों को प्रेस नहीं कर रहा हूं और आशा करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लेंगे ताकि जो त्रुटि रह गयी है वह सीजन के पहले निकल जायं और किसानों का काम अच्छे तरीके से चल सके, उनको सुविधा हो सके।

साप्ताहिक कार्यक्रम

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--श्रीमन्, आज इस हफ्ते का कार्यक्रम बताने के लिये मंत्री जी ने कहा था ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--मुझे दुख है कि मैं मुख्य मंत्री जी से बात नहीं कर पाया। लेकिन कल से तो हमारा कार्य, जहां तक फर्स्ट और सेकंड फाइव इयर प्लान का संबंध है, उसका प्रारम्भ होगा। तीन दिन उसके विषय में विचार विनिमय सदन में होगा और कल हम फिर अगले महीने के प्रोग्राम के विषय में चर्चा करेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

राधेरमण सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१७ अक्तूबर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

क्रम-संख्या	गांव का नाम	रकबा
		एकड़
१	नगदा	२०३६.००
२	नैनोराखुर्द	१०२४.८४
३	लैलांच	१४७९.४०
४	कसोधन	२२५३.००
५	मवईघबीना	१६२९.००
६	ननौराबुजुर्ग	९७७.००
७	झंडा	१२१५.००
८	डुबकी	५७३.७३
९	उद्देतपुरा	८७८.८२
१०	बबीना	१२६६.०९
११	धमकन	१९५.११
१२	रसोई	५१.५८
१३	रायपुर	४६०.७२
१४	हीरापुर	२९२.०४
१५	निहोना	२०६४.७४
१६	रतौली	१८२७.७७
१७	कुटेरापिछौर	१८१२.०५
१८	टूंका	१५५१.३०
१९	मैंडराबुजुर्ग	३५८.१५
२०	पैंडराखुर्द	४९०.९४
२१	निचरौली	५६३.९७

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

क्रम संख्या	गांव का नाम	आबादी
१	नगदा	६३७
२	मनोराखुर्द	४७
३	सलौंज	३२७
४	कसोधन	५४१
५	मवई बबीना	१०५
६	ननोराबुजुर्ग	१३३
७	झंडा	१४५
८	दुबकी	१३१
९	उद्देतपुरा	२९९
१०	बबीना	४,२७०
११	धपकन	४२९
१२	रसोई	३४८
१३	रायपुर	२११
१४	निहोना	६८४
१५	रतौली	६०६
१६	कुटेरापिछौर	४३७
१७	टूंका	९५०
१८	मंडरा बुजुर्ग	९५२
१९	मंडरा खुर्द	४१७
२०	निचरौली	७७३
२१	हीरापुर	५४५

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६८ पर)

श्री महीलाल द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या २५ से संबंधित विवरण

तकावी देने की मौजूदा व्यवस्था को और सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने जो उपाय किये है वे ये हैं :—

१—तकावी ऋण वितरित करने वाले अधिकारियों को हर साल अप्रैल के अन्त तक यह मालूम हो जायगा कि विभिन्न मदों में तकावी देने के लिये उन्हें कितनी रकम मिलेगी ?

२—सरकार द्वारा निर्धारित की गई तारीखों तक ही तकावी (ऐक्ट १९) के लिये दरख्वास्तें ली जावेंगी। इन तारीखों का ऐलान हर जिले के संबंधित अधिकारी भली प्रकार करेंगे।

३—दरख्वास्त के साथ लेखपाल की अंतिम खतौनी के इन्दराज की प्रमाणित नकल जरूर होनी चाहिये। साथ ही दरख्वास्त में लिखे गये ब्योरे का तसदीक और हलफनामा भी जरूर होना चाहिये। यह इसलिये किया गया है कि ताकि दरख्वास्त की तसदीक में देर न लगे।

४—अगर और आदमियों की जमानत पेश की जाती है तो दरख्वास्त में उनके भी दस्तखत अवश्य होने चाहिये। साथ ही उनका यह बयान भी होना चाहिये कि वे प्रार्थी द्वारा मांगी गई रकम तक की जमानतें देने के लिये तैयार हैं। जामिन को भी प्रार्थी की तरह हलफनामा और इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रार्थी अथवा जामिन की जायदाद के स्वामित्व या मिल्कियत के बारे में कोई झगड़ा नहीं है।

५—दरख्वास्त और हलफनामें की और तसदीक उसी सूरत में की जायगी जबकि ५०० रु० से ज्यादा कर्ज मांगा जायगा।

६—ऐसे किसान को भी जिस पर सरकारी कर्ज बकाया है और वो किश्तें बराबर चुकाता रहा है, तकावी दी जा सकेगी। ऐसी सूरत में जितनी रकम की वह जमानत देगा उसमें से बकाया किश्तों की रकम काट कर बाकी रकम के बराबर तकावी दी जायगी।

७—दरख्वास्त अगर कलेक्टर के अलावा किसी और अधिकारी के पास पहुंचे तो दरख्वास्त पाने के एक सप्ताह के भीतर उस अधिकारी को उसे अपनी सिफारिश के साथ कलेक्टर के पास अवश्य भेज देना चाहिये।

८—दरख्वास्त प्राप्त होने पर वे तुरन्त रजिस्टर में दर्ज की जायं और अगर उनमें कोई कमी अथवा गलती हो तो संबंधित अधिकारी उसे दरख्वास्त पाने के एक सप्ताह के भीतर दुरुस्त करवा लें। उसके बाद अगर विभागीय अधिकारी की सिफारिश जरूरी हो और वह दरख्वास्त के साथ न हो तो सिफारिश के लिये संबंधित अधिकारी के पास दरख्वास्त भेज दी जाय। इस काम में दो सप्ताह से ज्यादा नहीं लगना चाहिये। उसके बाद वह तुरन्त उस अधिकारी के पास भेज दी जाय जिसका काम जमानत और जामिन की तसदीक करना है। तसदीक के काम में ३ सप्ताह से ज्यादा नहीं लगना चाहिये। तसदीक होने के बाद दरख्वास्तें पहुंचने पर तकावी वितरण करने वाले अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर तय कर लेना चाहिये कि तकावी के लिये निर्धारित की गई रकम को वे किस किस प्रार्थी को बांटेंगे ? इस

अवसर पर वे यह भी निश्चय कर सकेंगे कि उन्हें तकावी बांटने के लिये और रकम की जरूरत है या नहीं ? जरूरत होंने पर उन्हें चाहिये कि वे अपने विभाग के अध्यक्ष के द्वारा और रकम देने के लिये सरकार से प्रार्थना करें।

९—तकावी के लिये प्राप्त रकम कम होने के कारण जिन प्रार्थियों को तकावी न दी जा सके उनकी दरख्वास्तें खारिज न की जायं। उन दरख्वास्तों पर उसी वित्तीय वर्ष में और रकम प्राप्त होने पर अथवा अगले वर्ष विचार करना चाहिये।

१०—यह कार्यक्रम इस प्रकार की तकावी के वितरण पर लागू नहीं होगा, जिनका बांटना किसी कृषि संबंधी आपदा के कारण आवश्यक हो। अभी यह योजना तकावी नियमों के रूप में घोषित नहीं की गई है। यह बहुत जल्द हो जायगी।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७० पर)

गाजीपुर जिले की सैदपुर सहसील में चलने वाली बसों / सवारी गाड़ियों की सूचिका

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	बसों की संख्या	अन्य विवरण
१	बनारस-सैदपुर (मुगलसराय, ताराजीवनपुर, चन्दौली, सकलडिहा और चहनियां होकर)	१	यह बसें सैदपुर तक चलती हैं।
२	मुगलसराय-सैदपुर (अलीनगर, ताराजीवनपुर, चन्दौली, सकलडिहा और चहनियां होकर)	२	
३	जौनपुर-सैदपुर (किराकत होकर)	६	
४	औड़िहार-मऊ .. (गाजीपुर, अलावलपुर, नवापुरा, युसुफपुर, कासिमाबाद और बहादुरगंज होकर)	७	यह बसें सैदपुर तहसील में होकर जाती हैं।
५	बनारस गाजीपुर ..	१६	
६	गाजीपुर-औड़िहार (बहरियाबाद होकर)	३	
७	गाजीपुर-रावल .. (चोचकपुर, रामपुर और माझा होकर)	४	
८	आजमगढ़-औड़िहार (देवगांव और मेहनाजपुर होकर)	१	

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११८ एल० ए०—१९५६—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा